इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 जनवरी 2020—पौष 27, शक 1941

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक,
(ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2019

क्र. ई-1-514-2019-5-एक.—श्रीमती वीरा राणा, भाप्रसे (1988), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा, प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2019

क्र. ई-1-331-2019-5-एक.—भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 13017-29-2019-AIS-(I), दिनांक 17 दिसम्बर 2019 द्वारा श्री मदन विभीषण नागरगोजे, भाप्रसे (MP : 2007) की सेवाएं 3 वर्ष के लिए अंत: संवर्गीय प्रतिनियुक्ति पर मध्यप्रदेश संवर्ग से महाराष्ट्र संवर्ग को सौंपी गई हैं.

(2) अत:, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री मदन विभीषण नागरगोजे, भाप्रसे (MP : 2007) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को महाराष्ट्र संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने के लिए कार्यमुक्त करता है.

क्र. ई-5-1030-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री दिलीप कुमार, भाप्रसे., कार्यपालक संचालक, राज्य खनिज निगम, भोपाल को दिनांक 23 से 28 दिसम्बर 2019 तक, छ: दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 22 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री दिलीप कुमार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कार्यपालक संचालक, राज्य खनिज निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री दिलीप कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दिलीप कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2019

क्र. ई-5-685-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री डी. पी. आहूजा, आयएएस., आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 26 दिसम्बर 2019 से 10 जनवरी 2020 तक, सोलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री डी. पी. आहूजा, भाप्रसे की अवकाश अवधि में आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग का प्रभार श्री हरिरंजन राव, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. आहूजा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री डी. पी. आहूजा, भाप्रसे द्वारा आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री हरिरंजन राव, भाप्रसे, सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री डी. पी. आहूजा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. आहूजा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-573-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मलय श्रीवास्तव, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग तथा प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग तथा प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग एवं पर्यावरण आयुक्त एवं महानिदेशक, एप्को को दिनांक 23 से 26 दिसम्बर 2019 तक, चार दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21, 22 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री मलय श्रीवास्तव, भाप्रसे की अवकाश अवधि में प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग तथा प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग तथा प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग एवं पर्यावरण आयुक्त एवं महानिदेशक, एप्को का प्रभार श्री मोहम्मद सुलेमान, भाप्रसे, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग प्रवासी भारतीय विभाग तथा योजना, आर्थिक सांख्यिकी विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मलय श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग तथा प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग तथा प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग एवं पर्यावरण आयुक्त एवं महानिदेशक, एप्को के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री मलय श्रीवास्तव, भाप्रसे, द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग तथा प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग तथा प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग एवं पर्यावरण आयुक्त एवं महानिदेशक, एप्को का कार्यभार ग्रहण कर श्री मोहम्मद सुलेमान, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री मलय श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मलय श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-768-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री संदीप यादव, आयएएस., आयुक्त, पंचायत राज मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 23 दिसम्बर 2019 से 4 जनवरी 2020 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21, 22 दिसम्बर 2019 एवं 5 जनवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री संदीप यादव, भाप्रसे की अवकाश अवधि में आयुक्त, पंचायत राज मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का प्रभार श्री उमाकांत उमराव, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल तथा पदेन सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संदीप यादव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, पंचायत राज मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री संदीप यादव, भाप्रसे, द्वारा आयुक्त, पंचायत राज मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री उमाकांत उमराव, भाप्रसे, सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री संदीप यादव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संदीप यादव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2019

क्र. ई-1-464-2019-5-एक.—श्री राजीव शर्मा, भाप्रसे (2003), आयुक्त हस्तशिल्प एवं हाथकरघा, मध्यप्रदेश एवं प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, विमानन का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(2) उपरोक्तानुसार श्री राजीव शर्मा द्वारा आयुक्त विमानन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनिरूद्ध मुकर्जी भाप्रसे (1993), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन तथा कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग एवं वि.क.अ.-सह-आयुक्त, विमानन (अतिरिक्त प्रभार) केवल वि.क.अ.-सह-आयुक्त विमानन के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

क्र. ई-1-505-2019-5-एक.—श्री राजेश कुमार जैन भाप्रसे (2004) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(2) श्री रत्नाकर झा भाप्रसे (2012) मुख्य महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क विकास निगम, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उपसचिव, वाणिज्यिक कर विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई-5-683-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती पल्लवी जैन गोविल, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को ई-आफिस द्वारा जारी आदेश दिनांक 30 नवम्बर 2019 द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर 2019 से दिनांक 4 जनवरी 2020 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 24 दिसम्बर 2019 से, 4 जनवरी 2020 तक, बारह दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 जनवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जानी है.

(2) श्रीमती पल्लवी जैन गोविल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री प्रतीक हजेला, भाप्रसे, आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती पल्लवी जैन गोविल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती पल्लवी जैन गोविल द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रतीक हजेला, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती पल्लवी जैन गोविल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती पल्लवी जैन गोविल अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2019

क्र. ई-1-508-2019-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सुश्री शैलबाला अंजना, मार्टिन (2009) उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग.	संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, मध्यप्रदेश भोपाल.	-

(1)	(2)	(3)	(4)
2	श्री ऋषि गर्ग (2013), अपर आयुक्त, जनजातीय कार्य विकास, मध्यप्रदेश भोपाल.	आयुक्त, नगरपालिक निगम, उज्जैन.	उप सचिव मध्यप्रदेश शासन

(2) श्री अभिषेक सिंह, भाप्रसे (2009), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास, भोपाल तथा पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग तथा संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, मध्यप्रदेश भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) को केवल संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए उन्हें अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अपर आयुक्त, जनजातीय कार्य विकास, मध्यप्रदेश भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(3) उपरोक्तानुसार श्री ऋषि गर्ग द्वारा आयुक्त नगरपालिक निगम, उज्जैन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री क्षितिज सिंघल, भाप्रसे (2014), अपर कलेक्टर, जिला उज्जैन तथा आयुक्त नगरपालिक निगम, उज्जैन (अतिरिक्त प्रभार) केवल आयुक्त नगरपालिक निगम, उज्जैन के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2019

क्र. ई-1-497-2019-5-एक.—श्री वीरेन्द्र कुमार, भाप्रसे (2011), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर विकास प्राधिकरण, ग्वालियर को जिला निवाड़ी में आयोजित ओरछा महोत्सव की व्यवस्थाओं हेतु आदेश जारी होने के दिनांक से 31 मार्च, 2020 तक के लिये अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, ओरछा महोत्सव पदस्थ किया जाता है.

(2) श्री वीरेन्द्र कुमार, द्वारा कलेक्टर, जिला निवाड़ी के निर्देशन में विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, ओरछा महोत्सव का कार्य संपादित किया जाएगा.

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2019

क्र. ई-1-456-2019-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये आवंटन वर्ष 2004 के भाप्रसे अधिकारियों को भाप्रसे के अधिसमय वेतनमान रुपये 1,44,200-2,18,200/- (पे-मैट्रिक्स-14) में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर, जिला इंदौर.	कलेक्टर, जिला इंदौर (पद का उन्नयन दिनांक 01-01-2020 से आगामी आदेश तक भाप्रसे के अधिसमय वेतनमान में पदोन्नत करते हुए)	सचिव, मध्यप्रदेश शासन (पद अधिसमय वेतनमान में असंवर्गीय होने के कारण)
2	श्री दुर्ग विजय सिंह, सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, भोपाल.	वि.क.अ.-सह-सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, भोपाल	सदस्य राजस्व मंडल
3	श्री अजय सिंह गंगवार, कलेक्टर, जिला नीमच.	कलेक्टर, जिला नीमच (पद का उन्नयन दिनांक 01-01-2020 से आगामी आदेश तक भाप्रसे के अधिसमय वेतनमान में पदोन्नत करते हुए)	सचिव, मध्यप्रदेश शासन (पद अधिसमय वेतनमान में असंवर्गीय होने के कारण)

(1)	(2)	(3)	(4)
4	श्री राजेश कुमार जैन, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम भोपाल तथा अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम, भोपाल तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, (अतिरिक्त प्रभार).	सचिव, मध्यप्रदेश शासन
5	श्री रविन्द्र सिंह, नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, भोपाल	नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, भोपाल	-
6	श्री पतिराम कतरौलिया, अपर आयुक्त (राजस्व), उज्जैन संभाग, उज्जैन.	वि.क.अ.-सह-अपर आयुक्त (राजस्व), उज्जैन संभाग, उज्जैन.	सदस्य राजस्व मंडल
7	श्री अमर सिंह बघेल, अपर आयुक्त (राजस्व), शहडोल संभाग, शहडोल.	वि.क.अ.-सह-अपर आयुक्त (राजस्व), शहडोल संभाग, शहडोल.	सदस्य राजस्व मंडल

(2) उपरोक्तानुसार भाप्रसे, अधिकारियों में से जिन अधिकारियों द्वारा मिड कैरियर फेस-4 प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है, को छोड़कर शेष अधिकारियों को अधिसमय वेतनमान इस शर्त के अधीन स्वीकृत किया जा रहा है कि वे आगामी मिड कैरियर फेस-4 प्रशिक्षण में सम्मिलित होकर उक्त प्रशिक्षण अनिवार्यतः पूर्ण करेंगे.

(3) उक्त पदोन्नति आदेश दिनांक 1 जनवरी 2020 से प्रभावशील होंगे.

क्र. ई-1-463-2019-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये आवंटन वर्ष 2007 के भाप्रसे अधिकारियों को दिनांक 1 जनवरी 2020 से भाप्रसे के प्रवर श्रेणी वेतनमान रुपये 1,23,100-2,15,900/- (पे-मैट्रिक्स-13) स्वीकृत किया जाता है तथा उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शित पद पर आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री श्रीमन शुक्ला, प्रबंध संचालक, कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल.	प्रबंध संचालक, कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल.	अपर सचिव मध्यप्रदेश शासन
2	श्रीमती स्वाति मीणा नायक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन, संघ, भोपाल.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन, संघ, भोपाल.	अपर सचिव मध्यप्रदेश शासन

(1)	(2)	(3)	(4)
3	श्री शशांक मिश्रा, कलेक्टर, जिला उज्जैन.	कलेक्टर, जिला उज्जैन.	–
4	डॉ. रामराव भोंसले उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग.	–
5	श्री राजेश कुमार कौल, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर.	कलेक्टर, जिला बुरहानपुर.	–
6	श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव, संचालक, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल.	संचालक, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल	अपर सचिव मध्यप्रदेश शासन
7	श्री अभय कुमार वर्मा, राज्यपाल के उप सचिव, राजभवन, भोपाल.	राज्यपाल के अपर सचिव, राजभवन, भोपाल.	–
8	श्री दीपक सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्मार्ट सिटी परियोजना, भोपाल.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्मार्ट सिटी परियोजना, भोपाल.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
9	श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला, उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग.	–
10	श्री संजय गुप्ता, संचालक (पुनर्वास), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल.	संचालक (पुनर्वास) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल.	–
11	डॉ. मंजू शर्मा, कलेक्टर, जिला अशोकनगर.	कलेक्टर, जिला अशोकनगर	–
12	डॉ. श्रीकांत पाण्डेय, कलेक्टर, जिला देवास.	कलेक्टर, जिला देवास	–

(2) यह आदेश दिनांक 1 जनवरी 2020 से प्रभावशील होगा.

क्र. ई-5-933-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री दीपक आर्य, आयएएस., (2012), कलेक्टर, जिला बालाघाट को दिनांक 26 से 31 दिसम्बर 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री दीपक आर्य, भाप्रसे की अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला बालाघाट का प्रभार श्रीमती रजनी सिंह, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बालाघाट को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री दीपक आर्य को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला बालाघाट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री दीपक आर्य, भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला बालाघाट का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती रजनी सिंह, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगी.

(5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दीपक आर्य, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(6) अवकाशकाल में श्री दीपक आर्य को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

भोपाल, दिनांक 1 जनवरी 2020

क्र. ई-1-513-2019-5-एक.—श्री दुर्ग विजय सिंह, भाप्रसे (2004) विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी-सह-सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई-1-515-2019-5-एक.—श्रीमती सूफिया फारूकी वली, भाप्रसे (2009), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम, मध्यप्रदेश भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई-5-889-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, आयएएस., कलेक्टर, जिला विदिशा को दिनांक 30 दिसम्बर 2019 से 6 जनवरी 2020 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 29 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, भाप्रसे की अवकाश अवधि में श्री बृन्दाबन सिंह राप्रसे, अपर कलेक्टर, जिला विदिशा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला विदिशा का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला विदिशा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला विदिशा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बृन्दाबन सिंह, राप्रसे कलेक्टर, जिला विदिशा के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-890-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अनुराग चौधरी, भाप्रसे (2010), कलेक्टर, जिला ग्वालियर को दिनांक 30 दिसम्बर 2019 से 4 जनवरी 2020 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 29 दिसम्बर 2019 एवं 5 जनवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री अनुराग चौधरी, भाप्रसे की अवकाश अवधि में कलेक्टर, ग्वालियर का प्रभार श्री शिवम वर्मा, भाप्रसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग चौधरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अनुराग चौधरी, भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शिवम वर्मा, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अनुराग चौधरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग चौधरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-1044-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री प्रीति यादव, भाप्रसे., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को दिनांक 10 अक्टूबर 2019 से 7 अप्रैल 2020 तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री प्रीति यादव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप सचिव, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में सुश्री प्रीति यादव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री प्रीति यादव अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2020

क्र. ई-5-732-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आकाश त्रिपाठी, आयएएस., आयुक्त, इन्दौर संभाग, इंदौर को दिनांक 13 से 17 जनवरी 2020 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11, 12 जनवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री आकाश त्रिपाठी की अवकाश अवधि में श्री लोकेश कुमार जाटव, भाप्रसे, कलेक्टर, जिला इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, इन्दौर संभाग, इंदौर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आकाश त्रिपाठी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, इन्दौर संभाग, इंदौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री आकाश त्रिपाठी, द्वारा आयुक्त, इन्दौर संभाग, इंदौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री लोकेश कुमार जाटव, भाप्रसे, आयुक्त, इन्दौर संभाग, इंदौर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री आकाश त्रिपाठी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आकाश त्रिपाठी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2020

क्र. ई-5-685-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री डी. पी. आहूजा, आयएएस., आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 20 दिसम्बर 2019 द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर 2019 से 10 जनवरी 2020 तक, सोलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 13 से 25 जनवरी 2020 तक, तेरह दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11, 12 एवं 26 जनवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री डी. पी. आहूजा, भाप्रसे की अवकाश अवधि में आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग का प्रभार श्री हरिरंजन राव, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. आहूजा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री डी. पी. आहूजा, भाप्रसे द्वारा आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री हरिरंजन राव, भाप्रसे, सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री डी. पी. आहूजा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. आहूजा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुधि रंजन मोहंती, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2019

क्र. ई-5-816-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री संजीव सिंह, आयएएस., तत्कालीन संचालक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल (वर्तमान में संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास) को समसंख्यक आदेश दिनांक 21 अगस्त 2019 द्वारा दिनांक 16 दिसम्बर 2019 से 4 जनवरी 2020 तक, बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

क्र. ई-5-961-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मयंक अग्रवाल, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, विदिशा को दिनांक 1 से 9 जनवरी 2020 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मयंक अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, विदिशा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री मयंक अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मयंक अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2019

क्र. ई-5-479-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री प्रभांशु कमल, आयएएस., कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल को समसंख्यक आदेश दिनांक 28 नवम्बर 2019 द्वारा दिनांक 2 से 13 दिसम्बर 2019 कुल, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 4 से 13 दिसम्बर 2019 कुल, दस दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 28 नवम्बर 2019 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

क्र. ई.-5-1040-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अंशुल गुप्ता, भाप्रसे., अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डॉ. अम्बेडकर नगर जिला इन्दौर को दिनांक 23 से 31 दिसम्बर 2019 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अंशुल गुप्ता, भाप्रसे., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डॉ. अम्बेडकर नगर जिला इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अंशुल गुप्ता, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अंशुल गुप्ता, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2019

क्र. ई-5-858-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विकास नरवाल, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी, लिमिटेड, इन्दौर को दिनांक 26 से 28 दिसम्बर 2019 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 25 एवं 29 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विकास नरवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी, लिमिटेड, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री विकास नरवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विकास नरवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 1 जनवरी 2020

क्र. ई-5-869-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अजय गुप्ता, आयएएस., कलेक्टर जिला सीहोर को समसंख्यक आदेश दिनांक 16 दिसम्बर 2019 द्वारा दिनांक 23 से 28 दिसम्बर 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

क्र. ई-5-865-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री व्ही. किरण गोपाल, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर को दिनांक 8 से 17 जनवरी 2020 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 18, 19 जनवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश सहित स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. किरण गोपाल को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री व्ही. किरण गोपाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री व्ही. किरण गोपाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-992-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री रवि डफरिया, आयएएस., अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को दिनांक 21 नवम्बर से 18 दिसम्बर 2019 तक, अट्ठाईस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री रवि डफरिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रवि डफरिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-1010-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री क्षितिज सिंघल, आयएएस., अपर कलेक्टर, जिला उज्जैन को दिनांक 13 से 17 जनवरी 2020 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11, 12 एवं 18, 19 जनवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री क्षितिज सिंघल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर, जिला उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री क्षितिज सिंघल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री क्षितिज सिंघल, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2020

क्र. ई.-5-671-आयएएस-लीव-एक-5.—श्रीमती दीपाली रस्तोगी, भाप्रसे प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग तथा विकअ-सह-आयुक्त, जनजातीय कार्य विकास मध्यप्रदेश, भोपाल को ई-आफिस द्वारा जारी आदेश दिनांक 4 दिसम्बर 2019 द्वारा दिनांक 16 से 24 दिसम्बर 2019 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

क्र. ई.-5-871-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री धनराजू एस., भाप्रसे, (2009) संचालक, कौशल विकास मध्यप्रदेश तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास मिशन एवं संचालक, रोजगार को दिनांक 3 से 10 जनवरी 2020 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11, 12 जनवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री धनराजू एस., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, कौशल विकास मध्यप्रदेश तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास मिशन एवं संचालक, रोजगार के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री धनराजू एस. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री धनराजू एस. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र.ई-5-984-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती शीतला पटले, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, देवास को दिनांक 13 से 17 जनवरी 2020 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11, 12 एवं 18, 19 जनवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती शीतला पटले को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, देवास के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती शीतला पटले को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शीतला पटले, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं

क्र. ई-5-986-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री ऋजु बाफना, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सतना को समसंख्यक आदेश दिनांक 1 जनवरी 2020 द्वारा दिनांक 3 से 10 जनवरी 2020 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 6 से 17 जनवरी 2020 तक, बारह दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18, 19 जनवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री ऋजु बाफना को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, सतना के पद पर पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में सुश्री ऋजु बाफना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री ऋजु बाफना अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

ई-5-1051-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री उमेश कुमार, आयएएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 15 नवम्बर 2019 द्वारा दिनांक 27 नवम्बर से 6 दिसम्बर 2019 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 10 से 14 फरवरी 2020 तक, पांच दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री उमेश कुमार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री उमेश कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उमेश कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीप्ति गौड़ मुकर्जी, प्रमुख सचिव (कार्मिक).

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2019

क्र. ई-5-867-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री तरूण कुमार पिथौड़े, भाप्रसे, कलेक्टर, जिला भोपाल को समसंख्यक आदेश दिनांक 16 दिसम्बर 2019 द्वारा दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

क्र. ई.-5-873-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अभिषेक सिंह, भाप्रसे, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम तथा उपसचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 6 दिसम्बर 2019 द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर 2019 से 1 जनवरी 2020 तक, दस दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 23 दिसम्बर 2019 से 1 जनवरी 2020 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 6 दिसम्बर 2019 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
फजल मोहम्मद, अवर सचिव ''कार्मिक''.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2020

क्र. एफ-1 (ए) 92-1999-ब-2-दो.—राज्य शासन, द्वारा श्री मकरन्द देऊस्कर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 6 से 20 जनवरी 2020 तक, पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 5 जनवरी 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) श्री मकरन्द देऊस्कर, भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री मनोज शर्मा, भापुसे, पुलिस उपमहानिरीक्षक, (कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा), पु. मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मकरन्द देऊस्कर, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री मकरन्द देऊस्कर, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री मकरन्द देऊस्कर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मकरन्द देऊस्कर, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2020

संशोधित आदेश

क्र. एफ-1(ए)168-1989-ब-2-दो.—राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 18 नवम्बर 2019 को निरस्त करते हुए, श्री कैलाश मकवाणा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 6 से 25 जनवरी 2020 तक, कुल बीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 05 व 26 जनवरी 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत अण्डमान निकोबार के भ्रमण यात्रा पर जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1	श्री कैलाश मकवाणा	—	स्वयं
2	श्रीमती सीमा मकवाणा	—	पत्नी
3	श्री ऋषभ	—	पुत्र
4	कु. श्रुति	—	पुत्री
5	श्री रोहित	—	पुत्र

(2) श्री कैलाश मकवाणा, भापुसे की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री राजीव कुमार टण्डन, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, अअवि, पु. मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री कैलाश मकवाणा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री कैलाश मकवाणा, भापुसे के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री कैलाश मकवाणा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कैलाश मकवाणा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. आर. भोंसले, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2020

क्र. एफ-1(ए) 04-2002-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री संतोष कुमार सिंह, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, ग्वालियर रेंज ग्वालियर को दिनांक 26 दिसम्बर 2019 से 4 जनवरी 2020 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश एवं 25 दिसम्बर 2019 व 05 जनवरी 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) श्री संतोष कुमार सिंह, भापुसे के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ला, भापुसे, सेनानी दूसरी वाहिनी, विसबल, ग्वालियर द्वारा अपने कार्य के साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संतोष कुमार सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, ग्वालियर रेंज ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री संतोष कुमार सिंह, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री संतोष कुमार सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संतोष कुमार सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2020

क्र. एफ-1(ए) 22-1993-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री के. टी. वाइफे, भापुसे, निदेशक/अति. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, पुलिस अकादमी, भोपाल को गृह नगर इम्फाल जाने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर 2019 से 4 जनवरी 2020 तक दस दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) श्री के. टी. वाइफे, भापुसे के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. टी. वाइफे, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न निदेशक/अति. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री के. टी. वाइफे, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री के. टी. वाइफे, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. टी. वाइफे, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1(ए) 29-2018-ब-2-दो.—राज्य शासन, द्वारा श्रीमती निवेदिता नायडू, भापुसे, नगर पुलिस अधीक्षक, विश्वविद्यालय, ग्वालियर को खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम ब्लाक वर्ष के विस्तार वर्ष 2019 के अंतर्गत अकेले गृह नगर तिरुपति जाने हेतु दिनांक 18 से 22 दिसम्बर 2019 तक कुल पाँच दिवस आकस्मिक अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती निवेदिता नायडू, भापुसे,को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न नगर पुलिस अधीक्षक, विश्वविद्यालय, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती निवेदिता नायडू, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती निवेदिता नायडू, भापुसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

संशोधित आदेश

क्र. एफ 1-81-2019-ब-2-दो.—राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 19 दिसम्बर 2019 को निरस्त करते हुए श्री तुषारकांत विद्यार्थी, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, पीटीसी, इन्दौर को दिनांक 23 से 31 दिसम्बर 2019 तक नौ दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति के साथ दुबई की निजी विदेश यात्रा (Ex-India-Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई (Assignment) नहीं लेंगे.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री तुषारकांत विद्यार्थी, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से पुलिस अधीक्षक, पीटीसी इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री तुषारकांत विद्यार्थी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तुषारकांत विद्यार्थी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

संशोधित आदेश

क्र. एफ 1(ए)-81-2011-ब-2-दो.—राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 27 नवम्बर 2019 को निरस्त करते हुए श्री पी. एस. उइके, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, शहडोल रेंज, शहडोल को खण्ड वर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष 2020-21 में दिनांक 13 से 22 जनवरी 2020 तक कुल दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 11-12 जनवरी 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत अण्डमान निकोबार के भ्रमण यात्रा पर जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

1.	श्री पी. एस. उइके	—	स्वंय
2.	श्रीमती आशा उइके	—	पत्नी
3.	कु. रूपाली उइके	—	पुत्री
4.	मोहित उइके	—	पुत्र

(2) श्री पी. एस. उइके, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य पुलिस अधीक्षक, शहडोल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री पी. एस. उइके, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, शहडोल रेंज, शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री पी. एस. उइके, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री पी. एस. उइके, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. एस. उइके, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

संशोधित आदेश

क्र. एफ-1(ए) 107-2008-ब-2-दो.—राज्य शासन, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 9 दिसम्बर 2019 को निरस्त करते हुए श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय भोपाल को दिनांक 9 से 22 दिसम्बर 2019 तक तेरह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 8 दिसम्बर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री हरिनारायणचारी मिश्रा, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, (प्रबंध), पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2020

फा. क्र. 7057-2020-इक्कीस ब(एक).—राज्य शासन, श्री विधान महेश्वरी वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में पदस्थ मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारी की अतिरिक्त सेवाएं माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में अतिरिक्त रजिस्ट्रार के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, एक वर्ष के लिये उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली को सौंपता है.

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2020

पंजी क्र. 58-2020-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन. जी. टी.), प्रधान न्यायापीठ, नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर रजिस्ट्रार जनरल के पद पर पदस्थ श्री कपिल कुमार मेहता की सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है.

शुद्धि पत्र

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2020

फाईल क्र. 33-2019-इक्कीस-ब(एक).—सुश्री निशा कुरील पुत्री श्री रजनीकांत कुरील को मध्यप्रदेश न्यायकि सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर नियुक्ति संबंधी इस विभाग के आदेश क्रमांक 6590-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 106), दिनांक 7 दिसम्बर 2019 के में द्वितीय पैरा के साथ **''मध्यप्रदेश शासन, गृह (सी-अनुभाग) विभाग, मंत्रालय के चरित्र सत्यापन के दिशा-निर्देश क्रमांक एफ 17/01/2017/दो/सी-2, दिनांक 24 जुलाई, 2018 का पैरा-7 के अनुसार अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र में दी गई जानकारी गलत पाई जाती है एवं उसके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी)''** भी पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2020

फा. नं. 6749-इक्कीस-ब (दो).—विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का संख्याक 39) की धारा 9 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1996 के नियम 14 (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट जिलों के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 1994 (क्र. 1994 का संख्याक 59) द्वारा यथा संशोधित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का संख्याक 39) की धारा 11-क की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए निम्न अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट तालुक/तहसील विधिक सेवा समिति के लिये, राज्य शासन एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को अधिसूचना जारी होने की दिनांक से 2 वर्ष के लिये सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है :—

अनुसूची

क्र.	जिला	तहसील	नामनिर्देशित सदस्य का नाम व पता
(1)	(2)	(3)	(4)
01	अलीराजपुर	अलीराजपुर	1. श्री राजेन्द्र सिंह परिहार, अधिवक्ता
			2. श्री सुरेश चन्द्र महेश्वरी, अधिवक्ता
		जोबट	1. श्री लक्ष्मीनारायण वाणी, अधिवक्ता
02	अनूपपुर	अनूपपुर	1. श्री अनंत केदास जौहरी, सामा. कार्यकर्ता
			2. श्री कृष्णदेव मिश्र, सामाजिक कार्यकर्ता
		1. कोतमा	1. श्री जितेन्द्र रजक, सामाजिक कार्यकर्ता
		2. राजेन्द्रग्राम	1. श्री श्याम लाल जायसवाल, सामा. कार्यकर्ता
03	अशोनगर	अशोनकनगर	1. श्री मनेन्द्र सिंह यादव, सामाजिक कार्यकर्ता
			2. श्री महावीर प्रसाद लोधी, अधिवक्ता
		1. मुंगावली	1. श्री हरिओम त्रिवेदी, अधिवक्ता
		2. चंदेरी	1. श्री अंशुल श्रीवास्तव, अधिवक्ता
04	बड़वानी	बडवानी	1. श्री शिव नारायण यादव, सामा. कार्यकर्ता
			2. सुश्री अंजना जैन, अधिवक्ता/सामा. कार्यकर्ता
		1. सेंधवा	1. श्री कालूराम शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता
		2. राजपुर	1. श्री राजेश कुमार सत्संगी, अधिवक्ता/सामा. कार्यकर्ता
		3. अंजड़	1. श्री हुकुम चन्द्र बंसल, अधिवक्ता/सामा. कार्यकर्ता
		4. खेतिया	1. श्री राजेश नाहर, सामाजिक कार्यकर्ता
05	बालाघाट	बालाघाट	1. श्री आर. पी. सिंह, अधिवक्ता, बालाघाट
			2. श्रीमती आशा वेदी, सामा. कार्यकर्ता
		1. वारासिवनी	1. श्री रीतेश शुक्ला, अधिवक्ता, वारासिवनी
		2. बैहर	1. सुश्री कमरून्निशा सिद्धिकी, अधिवक्ता
		3. कंटगी	1. श्री लकेश कुमार गौतम, अधिवक्ता, कटंगी
06	बैतूल	बैतूल	1. श्री शिव प्रसाद पाटिल, अधिवक्ता
			2. श्रीमती शिखा भौरासे, सामाजिक कार्यकर्ता
		1. मुलताई	1. श्री रवि यादव, अधिवक्ता
		2. भैंसदेही	1. श्री वासूदेव कोसे, अधिवक्ता
		3. आमला	1. श्री रमेश नागपुरे, अधिवक्ता
07	भिण्ड	भिण्ड	1. श्री जुगल किशोर दीक्षित, अधिवक्ता
			2. श्री रामवीर सिंह भदौरिया, अधिवक्ता
		मेहगांव	1. श्री सर्वेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता

(1)	(2)	(3)	(4)
		गोहद	1. श्री केसी उपाध्याय, सामाजिक कार्यकर्ता
		लहार	1. श्री कन्छेदीलाल बघेल, अधिवक्ता
08	भोपाल	भोपाल	1. श्री प्रशान्त पाठक, सामाजिक कार्यकर्ता
			2. श्री निरन्जना चौरसिया, अधिवक्ता
		1. बैरसिया	1. श्री मिथिलेश वर्मा, अधिवक्ता
09	बुरहानपुर	बुरहानपुर	1. श्री रविन्द्र गुप्ता, सामाजिक कार्यकर्ता
			2. श्री अनिल मिश्रा, सामाजिक कार्यकर्ता
10	छतरपुर	छतरपुर	1. श्रीमती निशि सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता
		1. नौगांव	1. श्री हेमंत कुमार दीक्षित, सामाजिक कार्यकर्ता
		2. राजनगर	1. श्रीमती मेहरून सिद्दकी, सामा. कार्यकर्ता
		3. लवकुश नगर	1. श्री पुरूषोत्तम अग्रवाल, सामाजिक कार्यकर्ता
		4. बड़ामलहरा	1. श्री धनप्रसाद असाटी, समाजसेवी, बड़ामलहरा
		5. बिजावर	1. श्री सौरभ भट्नागर, सामाजिक कार्यकर्ता
11	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	1. श्री श्यामल राव
			2. सुश्री शबनम खान
		1. अमरवाड़ा	1. श्री एस. एस. एच. रिजवी
		2. चौरई	1. श्री आर. के. मिश्रा
		3. जुन्नारदेव	1. श्री धर्मेन्द्र राव
		4. पांढुर्ना	1. श्री ए. के. भगत
		5. परासिया	1. श्री अनुराग निगोतिया
		6. सौंसर	1. श्रीमती ज्योत्सना पात्रीकार
12	दमोह	दमोह	1. श्री बी. पी. श्रीवास्तव, अधिवक्ता
			2. श्री कैलाश शैलार, सामाजिक कार्यकर्ता
		1. हटा	1. श्री अनुराग बर्धन हजारी, अधिवक्ता
		2. पथरिया	1. श्री राजेश खरे, अधिवक्ता
		3. तेन्दूखेड़ा	1. श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर
13	दतिया	दतिया	1. श्री बी. के. जाटव, सेवानिवृत्त न्यायाधीश
		1. सेवढ़ा	1. श्री रवि शंकर शर्मा, अधिवक्ता
		2. भाण्डेर	1. श्री अरुण गुबरेले, सामाजिक कार्यकर्ता
14	देवास	देवास	1. श्रीमती सीमा यादव, सामाजिक कार्यकर्ता
			2. श्री सैयद मकसूद अली, सामा. कार्यकर्ता
		1. टोंकखुर्द	1. श्री रविन्द्र सिंह गोर, सामाजिक कार्यकर्ता
		2. सोनकच्छ	1. श्री अमर सिंह मालवीय, सामाजिक कार्यकर्ता
		3. कन्नौद	1. श्री पुरुषोत्तम गौरानी, सामाजिक कार्यकर्ता
		4. बागली	1. श्री नाथू सिंह सैंधव, सामाजिक कार्यकर्ता
		5. खातेगांव	1. श्रीमती चंदा श्रीवास, सामाजिक कार्यकर्ता
15	धार	धार	1. श्री सुरेश भुवेल, सामाजिक कार्यकर्ता
			2. श्री दुर्गेश नागर, सामाजिक कार्यकर्ता
		1. मनावर	1. श्री रमेश कुशवाहा
		2. बदनावर	1. श्री जयेश राजपुरोहित, सामाजिक कार्यकर्ता
		3. धरमपुरी	1. श्री हीरा चन्द्र सेठी,

(1)	(2)	(3)	(4)
		4. सरदारपुर	1. श्री धर्मेन्द्र श्रीवास्तव, सामाजिक कार्यकर्ता
		5. कुक्षी	1. श्री धन्नालाल बर्फा, सामाजिक कार्यकर्ता
16	डिण्डौरी	डिण्डौरी	1. श्री शान्ति कुमार कनौजे, अधिवक्ता
			2. श्री विरेन्द्र सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता
		1. शहपुरा	1. श्री राजेश पाल, अधिवक्ता
17	गुना	गुना	1. श्री शकील अफरोज खान, अधिवक्ता,
			2. श्री नागेन्द्र गौड़, अधिवक्ता
		1. चाचौड़ा	1. डॉ. आशा कटारिया, सामा. कार्य
		2. राघौगढ़	1. श्रीमती राजकुमारी गुर्जर, अधि/समाजसेविका
		3. आरोन	1. श्री इफतखार हुसैन, अधिवक्ता
18	ग्वालियर	ग्वालियर	1. श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त न्यायाधीश
			2. श्री बी. एस. रघुवंशी, सेवानिवृत्त अवर सचिव.
		1. डबरा	1. श्री अशोक कुमार चतुर्वेदी, अधिवक्ता
		2. भितरवार	1. श्री लक्ष्मन सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता
19	हरदा	हरदा	1. श्री आर. एस. साकल्ले, अधिवक्ता
			2. श्रीमती कमला सोनी, सामाजिक कार्यकर्ता
		1. खिरकिया	1. पदेन सदस्यों के साथ नवगठन
20	होशंगाबाद	होशंगाबाद	1. श्री एल. एल. शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता
			2. सुश्री विजया कदम, अधिवक्ता
		1. इटारसी	1. श्री जिनेन्द्र जैन, अधिवक्ता
		2. पिपरिया	1. श्री जे. एन. ढिमोले, अधिवक्ता
		3. सोहागपुर	1. श्री शंकर लाल मालवीय, अधिवक्ता
		4. सिवनी मालवा	1. श्री एन. एस. यादव
21	इन्दौर	इन्दौर	1. श्री सुरेश रणविदे, सेवानिवृत्त न्यायाधीश
			2. श्री रविन्द्र सिंह गौड़, अधिवक्ता
		1. डॉ. अम्बेडकर नगर (महू)	1. सुश्री गीता लखवानी, अधिवक्ता
		2. देपालपुर	1. सुश्री मालती जोशी, अधिवक्ता
		3. सांवेर	1. श्री राधेश्याम पटेल, अधिवक्ता
		4. हातौद	1. श्री घनश्याम सिंह सोलंकी, अधिवक्ता
22	जबलपुर	जबलपुर	1. श्री राकेश पाण्डेय अधिवक्ता, जबलपुर
			2. श्रीमती सोनल पंडित, सामा. कार्य. जबलपुर
		1. सिहोरा	1. श्री रमेश पटेल, अधिवक्ता,
		2. पाटन	1. श्री रणवीर सिंह
23	झाबुआ	झाबुआ	1. श्री मोहनलाल गामड, अधिवक्ता
			2. श्री जयेन्द्र बैरागी सामा. कार्यकर्ता
		1. थांदला	1. श्री दिनेश चन्द्र गुप्ता, सामा. कार्यकर्ता
		2. पेटलावद	1. श्री अविनाश उपाध्याय, अधिवक्ता
24	कटनी	कटनी	1. श्री अश्विनी बड़गैया, अधिवक्ता
			2. श्रीमती आभा गुमास्ता, सामाजिक कार्यकर्ता
		1. विजयराघवगढ़	1. श्री रमाकान्त तिवारी, अधिवक्ता

(1)	(2)	(3)	(4)
25	खण्डवा	खण्डवा	1. श्री जगदीश चन्द्र चौरे, अधिवक्ता
			2. श्रीमती अनीता सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता
		1. हरसूद	1. श्री मकसूद पटेल, अधिवक्ता
		2. पुनासा	1. श्री सालगराम अधिवक्ता
26	मण्डलेश्वर	मण्डलेश्वर	1. श्री संतोष मोयदे, सामा. कार्यकर्ता
			2. श्री विजय कुमार बड़ोले, सामा. कार्य.
		1. बड़वाहा	1. श्री हीरालाल जी सोनी, सामा. कार्यकर्ता
		2. सनावद	1. श्री कृष्णराव सोनाने, अधिवक्ता
		3. भीकनगांव	1. श्री संजय बोर्डिया, समाज सेवी
		4. खरगौन	1. श्री रेवल सिंह डॉवर, अधिवक्ता
		5. कसरावद	1. श्री निलेश कुमार व्यास, अधिवक्ता
		6. महेश्वर	1. श्री हंसराज सोनी, अधिवक्ता
27	मण्डला	मण्डला	1. श्रीमती मुक्ता जोशी, सामाजिक कार्यकर्ता
			2. श्रीमती राधा गुप्ता, सामाजिक कार्यकर्ता
		निवास	1. कुमारी निधि खरे, सामाजिक कार्यकर्ता
		नैनपुर	1. श्री फूलदास धुर्वे, सामाजिक कार्यकर्ता
28	मंदसौर	मंदसौर	1. श्री राव विजय सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता
			2. डॉ. श्रीमती चन्दा कोठारी, सामाजिक कार्यकर्ता
		1. गरोठ	1. श्री दिवाकर उपाध्याय, सामाजिक कार्यकर्ता
		2. भानपुरा	1. श्री एस. सी. जोशी, सामाजिक कार्यकर्ता
		3. सीतामऊ	1. श्रीमती अंगूरबाला, सामाजिक कार्यकर्ता
		4. नारायणगढ़	1. श्री आर. एस. नागदा, सामाजिक कार्यकर्ता
29	मुरैना	मुरैना	1. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, अधिवक्ता
			2. डॉ. एकता डण्डौतिया, सामाजिक कार्यकर्ता
		1. अम्बाह	1. श्री अनिल तिवारी, अधिवक्ता
		2. जौरा	1. श्री रामहेत धाकड़ अधिवक्ता
		3. सबलगढ़	1. श्री कुलदीप दीक्षित, अधिवक्ता
30	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	1. श्री अजय ताम्रकार, अधिवक्ता
			2. श्रीमती संध्या कोठारी, समाजसेवी
		गाडरवारा	1. श्री एच. बी. रफिक, अधिवक्ता
31	नीमच	नीमच	1. श्री राजकुमार रामनानी, सेवानिवृत्त अधिकारी
			2. डॉ. हर नारायण गुप्ता, सामाजिक कार्यकर्ता
		1. मनासा	1. श्री वीरम धनगर, अधिवक्ता
		2. जावद	1. श्री मोहन लाल पर्टिदार, अधिवक्ता
32	पन्ना	पन्ना	1. श्री धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय
			2. कुमारी सीता रैदास
		1. पवई	1. श्री मैयादीन अहिरवार
		2. अजयगढ़	1. श्री ए. के. कश्यप
33	रायसेन	रायसेन	1. श्री यू. पी. एन. सक्सेना, सामाजिक कार्यकर्ता
			2. श्री पी. एन. साहू, सामाजिक कार्यकर्ता

(1)	(2)	(3)		(4)	
		1.	गौहरगंज	1.	श्री नोमान खान, सामाजिक कार्यकर्ता
		2.	बेगमगंज	1.	श्री राकेश भार्गव, सामाजिक कार्यकर्ता
		3.	गैरतगंज	1.	श्री बलीराम राय, सामाजिक कार्यकर्ता
		4.	बरेली	1.	श्री तरुण भावसार, सामाजिक कार्यकर्ता
		5.	उदयपुरा	1.	श्री गोपाल सिंह वर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता
		6.	सिलवानी	1.	श्री अक्षय रघुवंशी, सामाजिक कार्यकर्ता
34	राजगढ़	राजगढ़		1.	श्रीमती स्मिता शुक्ला, सामाजिक कार्यकर्ता
				2.	श्री रमेश चन्द्र शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता
		1.	ब्यावरा	1.	सुश्री चित्रा खेमजी, अधिवक्ता
		2.	नरसिंहगढ़	1.	डॉ. ओ. पी. साहू, समाजसेवी
		3.	सारंगपुर	1.	श्री लक्ष्मी नारायण त्रिकार, समाजसेवी
		4.	खिलचीपुर	1.	श्री ललित शर्मा, समाजसेवी
		5.	जीरापुर	1.	श्री मनोज उपाध्याय, अधिवक्ता
35	रतलाम	रतलाम		1.	श्री विजय शर्मा
				2.	श्रीमती आभा निमावत
		1.	जावरा	1.	श्री राहुल पहाड़िया
		2.	सैलाना	1.	श्री ओ. पी. रजक
		3.	आलोट	1.	श्री सईद खान
36	रीवा	रीवा		1.	श्री घनश्याम सिंह, अधिवक्ता
				2.	श्री अजय पाण्डेय, अधिवक्ता
		1.	मऊगंज	1.	श्री गोविन्द्र प्रसाद मिश्रा, अधिवक्ता
		2.	त्योंथर	1.	श्री मोहन प्रसाद पाठक, अधिवक्ता
		3.	सिरमौर	1.	श्री हेमराज पाण्डेय, अधिवक्ता
		4.	हनुमना	1.	श्री नीरज कुमार मिश्रा, अधिवक्ता
37	सागर	सागर		1.	श्रीमती रश्मि ऋतु जैन, अधिवक्ता
				2.	श्री सतीश चन्द्र रावत, अधिवक्ता
		1.	रहली	1.	श्री प्रकाश चन्द्र मिश्रा
		2.	खुरई	1.	श्री शिवचरण लाल मेसन
		3.	देवरी	1.	श्री अनिल सोनी, समाजसेवी
		4.	बीना	1.	श्री सतीश पाठक, अधिवक्ता
		5.	बण्डा		पदेन सदस्यों के साथ नवगठन
		6.	गढ़ाकोटा		पदेन सदस्यों के साथ नवगठन
38	सतना	सतना		1.	श्री राजेश प्रसाद चतुर्वेदी, अधिवक्ता
				2.	श्री विनीत कुमार मिश्रा, अधिवक्ता
		1.	मैहर	1.	श्री शंकरदत्त पाण्डेय, अधिवक्ता
		2.	अमरपाटन	1.	श्री ब्रज भूषन मिश्रा, अधिवक्ता
		3.	नागौद	1.	श्री लवकेश सिंह, अधिवक्ता
		4.	उचेहरा	1.	श्री ए. पी. तिवारी, अधिवक्ता
		5.	चित्रकूट	1.	श्री विमलेश त्रिपाठी, अधिवक्ता
		6.	रामपुर बघेलान	1.	श्री लालमणी सिंह बघेल, अधिवक्ता
39	सीहोर	सीहोर		1.	श्री ओ. पी. चौरसिया, अधिवक्ता
				2.	श्री याद मोहम्मद, अधिवक्ता

(1)	(2)	(3)	(4)
		1. आष्टा	1. श्री पल्लव जैन, अधिवक्ता
		2. नसरूल्लागंज	1. श्री करण सिंह सोलंकी, सामा. कार्यकर्ता
		3. बुदनी	1. श्री बी. आर. अहिरवार, अधिवक्ता
		4. इछावर	1. श्री अमित गुप्ता, अधिवक्ता
40	सिवनी	सिवनी	1. श्री प्रवीण शाह, सेवानिवृत्त न्यायाधीश
			2. श्री छिद्दीलाल श्रीवास, सामाजिक कार्यकर्ता
		1. लखनादौन	1. श्री देवेन्द्र रजक, अधिवक्ता
41	शहडोल	शहडोल	1. श्री राजेन्द्र सराफ, अधिवक्ता
			2. सुश्री आशा पाण्डेय, अधिवक्ता
		1. ब्योहारी	1. श्री संतोष कुमार शुक्ल, अधिवक्ता
		2. जयसिंहनगर	1. श्रीमती निशा शुक्ला, अधिवक्ता
		3. बुढ़ार	1. श्री दीपक सिंघल, अधिवक्ता
42	शाजापुर	शाजापुर	1. श्री अनिल आचार्य, अधिवक्ता
			2. श्रीमती लाडकुवर ठाकुर, अधिवक्ता
		1. शुजालपुर	1. श्री जितेन्द्र गुरेनिया, अधिवक्ता
		2. आगर	1. श्री प्रेमनारायण चतुर्वेदी
		3. सुसनेर	1. श्री गजेन्द्र बजारिया, अधिवक्ता
		4. नलखेड़ा	1. श्री जी. एस. फागना, अधिवक्ता
43	श्योपुर	श्योपुर	1. श्री कैलाश पराशर, सामाजिक कार्यकर्ता
			2. श्री राम प्रसाद पारेता
		विजयपुर	1. श्री आशाराम सोनी
44	शिवपुरी	शिवपुरी	1. श्री शैलेन्द्र गुप्ता, सामाजिक कार्यकर्ता
			2. कु. श्रद्धा जादौन, सामाजिक कार्यकर्ता
		1. करैरा	1. श्री निलेश लोधी, सामाजिक कार्यकर्ता
		2. पिछोर	1. श्री कोमल प्रसाद पंसारी
		3. कोलारस	1. श्री महेन्द्र कुमार सराफ, सामाजिक कार्यकर्ता
		4. पोहरी	1. श्री कृष्णकुमार जैमिनी
		5. खनियाधाना	1. श्री जितेन्द्र खरे, सामाजिक कार्यकर्ता
45	सीधी	सीधी	1. श्रीमती मीरा गौतम, सामाजिक कार्यकर्ता
			2. श्रीमती श्रृद्धा सिंह सेंगर, अधिवक्ता
		1. चुरहट	1. श्री अजय पाण्डेय, सामाजिक कार्यकर्ता
		2. मझौली	1. श्री उमेन्द्र तिवारी, अधिवक्ता
		3. रामपुर नैकिन	1. प्रभाकर सिंह, अधिवक्ता
46	सिंगरौली	सिंगरौली	1. श्री रविन्द्र पाण्डेय
			2. श्री रमाकर प्रताप सिंह
		1. देवसर	1. श्री राकेश प्रताप सिंह, अधिवक्ता
47	टीकमगढ़	टीकमगढ़	1. श्रीमती प्रीति परमार, सदस्य उपभोक्ता फोरम
			2. श्री विनोद कुमार खरे, सामाजिक कार्यकर्ता
		1. निवाड़ी	1. श्री वृंदावन सूत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता
		2. जतारा	1. श्री भगवान दास यादव, सामाजिक कार्यकर्ता
		3. ओरछा	1. श्री रविन्द्र कुमार तिवारी, सामाजिक कार्यकर्ता

(1)	(2)	(3)	(4)
48	उज्जैन	उज्जैन	1. श्री योगेश चन्द्र गुप्ता, सेवानिवृत्त न्यायाधीश
			2. श्री प्रताप मेहता, अधिवक्ता
		1. खाचरौद	1. श्री मनीष शर्मा, अधिवक्ता
		2. बड़नगर	1. श्री डी. एस. पण्डया, अधिवक्ता
		3. महिदपुर	1. श्री के. एल. राठी, अधिवक्ता
		4. तराना	1. श्री डी. के. नागर, अधिवक्ता
		5. नागदा	1. श्री मदन लाल मौर्य, अधिवक्ता
49	उमरिया	उमरिया	1. श्री तरूण पाण्डेय, अधिवक्ता
			2. श्रीमती उमा महोबिया, समाजसेवी
		1. विरसिंहपुर पाली	1. श्री सुदामा विश्वकर्मा, अधिवक्ता
		2. मानपुर	1. श्री विकास गुप्ता
50	विदिशा	विदिशा	1. श्री दिनेश मिश्रा, अधिवक्ता
			2. श्री अतुल शाह, सामाजिक कार्यकर्ता
		1. गंजबासौदा	1. श्री शिवदीप सचान, अधिवक्ता
		2. सिरोंज	1. श्री अरविन्द सोनी, अधिवक्ता
		3. लटेरी	1. श्री गिरजा प्रसाद शर्मा, सामा. कार्यकर्ता
		4. कुरवाई	1. श्री हरनाम सिंह राजपूत, अधिवक्ता

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2020

पंजी. क्र. 6716-2019-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, जिला मुख्यालय, होशंगाबाद में विभागीय आदेश दिनांक 11 मार्च 1999 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री एम. एल. चौरे, का दिनांक 2 जून 2018 को निधन होने के कारण उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शुक्ल, अपर सचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2019

क्र. बी-18-14-2019-चौदह-2.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 (क्रमांक 1 सन् 1959) की धारा 9 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्री संजीव सिंह, भाप्रसे (2005) संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास को प्रशासकीय अनुमोदन के क्रम में आगामी आदेश तक ''गन्ना आयुक्त'' घोषित किया जाता है यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

क्र. बी-18-14-2019-चौदह-2.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 (क्रमांक 1 सन् 1959) की धारा 10 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए श्री के. एस. टेकाम, भाप्रसे, अपर संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास को प्रशासकीय अनुमोदन के क्रम में आगामी आदेश तक ''अपर गन्ना आयुक्त'' घोषित किया जाता है यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2019

संशोधित आदेश

क्र. बी-18-14-2019-चौदह-2.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 (क्रमांक 1 सन् 1959) की धारा 10 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्री के. एस. टेकाम, अपर संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास को प्रशासकीय अनुमोदन के क्रम में आगामी आदेश तक ''अपर गन्ना आयुक्त'' घोषित किया जाता है यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रकाश कुमार माखीजा, अवर सचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2019

क्र. एफ-11-07-2019-तीस.—राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर-बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है.

2. अतएव मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्टस एण्ड आर्क्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है.

3. किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा :—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थानीय क्षेत्र का नाम	स्मारक का नाम	राजस्व का क्षेत्र जो संरक्षण के अधीन है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
म. प्र.	ग्वालियर	डबरा	ग्राम लोहगढ़	गढ़ी लोहगढ़	सर्वे नं. 1116 चट्टान	0.679 हे.	म. प्र. शासन	नहीं

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पदमरेखा ढोले, अवर सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2019

क्र. 4511-3305-2019-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में, कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिला का नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्योपुर	श्योपुर	श्री अनुराग खरे, ICJ-II & JMFC
2	झाबुआ	झाबुआ	श्री राजकुमार चौहान, JMFC & CJ-I

No. 4511-3305-2019-L-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 (No. 02 of 2016), the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column no. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely :—

SCHEDULE

S.No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sheopur	Sheopur	Shri Anurag Khare, ICJ-II & JMFC
2	Jhabua	Jhabua	Shri Rajkumar Chouhan, JMFC & CJ-I

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2020

क्र. 15-13-2020-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में, कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिले का नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अलीराजपुर	अलीराजपुर	सुश्री निकिता चौहान, JMFC(Offi)
2	अनूपपुर	अनूपपुर	सुश्री आरती रतोनिया, JMFC
3	दतिया	दतिया	सुश्री ऋचा गोयल, JMFC(Offi)
4	ग्वालियर	ग्वालियर	श्रीमती शबनम कादिर मंसूरी, JMFC
5	पन्ना	पन्ना	श्रीमती वंदना सिंह, JMFC
6	सतना	सतना	सुश्री रोहिणी तिवारी JMFC
7	सिवनी	सिवनी	श्रीमती कल्पना मरावी, JMFC

No. 15-13-2020-L-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 (No. 02 of 2016), the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column no. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely :—

SCHEDULE

S.No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Alirazpur	Alirazpur	Sushree Nikita Chouhan, JMFC (Offi)
2	Anoppur	Anoppur	Sushree Arti Ratonia, JMFC

(1)	(2)	(3)	(4)
3	Datia	Datia	Shushree Richa Goyal, JMFC (Offi)
4	Gwalior	Gwalior	Smt. Shabnam Kadir Mansoori, JMFC
5	Panna	Panna	Smt. Vandna Singh, JMFC
6	Satna	Satna	Sushree Rohini Tiwari, JMFC
7	Seoni	Seoni	Smt. Kalpna Maravi, JMFC

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. ठाकुर, उपसचिव.

आयुष विभाग

वल्लभ भवन क्रमांक-3, चतुर्थ तल, मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2019

क्र. 3958-2777-2019-1-उनसठ.—चिकित्सा शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-14-2005-3-पचपन दिनांक 1 दिसम्बर 2006 द्वारा ड्रग एवं कास्मेटिक एक्ट, 1940 (1940 की केन्द्रीय अधिनियम संख्या 23) की धारा 33 जी की उपधारा (4) एवं ड्रग एवं कास्मेटिक रूल 1945 के नियम, 152 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 3008-4697-17-मेडि-4, भोपाल दिनांक 23 जुलाई 73 को अधिक्रमित करते हुए एतद्द्वारा संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी को पदेन ड्रग कन्ट्रोलर (भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी) नियुक्त किया गया है.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा ड्रग कन्ट्रोलर, संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के स्थान पर आयुक्त/संचालक, संचालनालय आयुष, भोपाल को पदेन ड्रग कन्ट्रोलर (आयुष) नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कलावती उईके, अवर सचिव.

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 जनवरी 2020

क्र. एफ-1 (ए)-1-2020-बी-ग्यारह.—राज्य शासन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 4 की उपधारा 2 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री अजय खरे, असि. रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, इंदौर संभाग, इंदौर की अवकाश अवधि में, सारणी के कॉलम (2) में दर्शित अधिकारी को, सारणी के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों पर उसके कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट अधिनियम की धाराओं द्वारा रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता है :—

अनुक्रमांक	अधिकारी का नाम	अधिनियम की धाराएं	क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
01	श्री बी. डी. कुबेर असि. रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, ग्वालियर संभाग ग्वालियर	6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 25(2), 26, 27, 28, 29, 30 31, 32, 34, 37, 38 एवं 39	इंदौर संभाग इंदौर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. बरोनिया, उपसचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2020

क्र. एफ 14-3-2006-ए-सोलह.—(पार्ट-1).—मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2002 के नियम 251 के साथ पठित भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्ते विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का सं. 27) की धारा 18 की उपधारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से आगामी आदेश तक मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का पुनर्गठन करती है.

नियम 252 (1), में उल्लेखित है कि नियम 251 उपनियम (iv) (v) (vi) में नियुक्ति/मनोनीत सदस्य राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे एवं उपनियम (2) 3 वर्ष कार्यकाल का प्रावधान है. अतएव बोर्ड के पुनर्गठन किए जाने हेतु निम्नानुसार शासकीय सदस्य होंगे :—

(एक)	मध्यप्रदेश शासन के मंत्री, श्रम विभाग	—	अध्यक्ष
(दो)	कल्याण आयुक्त, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, जबलपुर.	—	सदस्य केन्द्र सरकार द्वारा नाम निर्देशित
(तीन)	अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त मुख्य निरीक्षक श्रमायुक्त, इन्दौर.	—	पदेन सदस्य

(चार) राज्य सरकार के विभागों को प्रतिनिधित्व करने वाले चार सदस्य, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये गये हों:—

(1)	प्रमुख सचिव, श्रम विभाग	—	सदस्य पदेन
(2)	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	—	सदस्य पदेन
(3)	प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग (भवन या अन्य संनिर्माण कार्यों में संलिप्त विभाग के प्रतिनिधि).	—	सदस्य पदेन
(4)	प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग (भवन या अन्य संनिर्माण कार्यों में संलिप्त विभाग के प्रतिनिधि).	—	सदस्य पदेन

2. नियम 251 के उपनियम (5) तथा (6) के तहत क्रमशः भवन कर्मकारों के प्रतिनिधिनियों और नियोजकों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति पृथक् से अधिसूचित की जावेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वंदना मेहरा अटूट, अवर सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2020

क्रमांक : एफ–13–27/2016/तेरह : यतः, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ने अपने आदेश क्रमांक एफ–16–16–2018–ए–ग्यारह, दिनांक 29 अगस्त, 2018 के द्वारा मेसर्स वर्धमान यार्न लिमिटेड की सतलापुर, जिला रायसेन स्थित यूनिट क्रमांक 6 की विस्तार एवं आधुनिकीकरण परियोजना को विद्युत शुल्क से छूट को सम्मिलित करते हुए, विभिन्न विशेष सुविधायें इस शर्त के साथ प्रदान की हैं कि परियोजना तीन वर्ष में अपना वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करेगी ;

और यतः, एम.पी. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 के द्वारा सूचित किया है कि इकाई से 1 सितम्बर, 2019 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हो गया है ;

अतएव, मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17 सन् 2012) की धारा 5 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मेसर्स वर्धमान यार्न लिमिटेड की सतलापुर, जिला रायसेन स्थित इकाई क्रमांक 6 के विद्यमान उच्चदाब संयोजन को वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बेची या प्रदाय की गई विद्युत पर 1 सितम्बर, 2019 से शुरू होने वाली सात वर्षों की अवधि के लिए विद्युत शुल्क के संदाय से छूट प्रदान करती है :

परन्तु विद्युत शुल्क के संदाय से ऐसी छूट इकाई क्रमांक 6 के कारण विद्यमान उच्चदाब संयोजन पर केवल अतिरिक्त विद्युत भार पर ही उपलब्ध होगी :

परन्तु यह और कि मेसर्स वर्धमान यार्न लिमिटेड को विद्यमान 132 के.व्ही. के संयोजन से अपनी इकाई क्रमांक 6 को विद्युत के प्रदाय पर विद्युत शुल्क के संदाय से छूट प्राप्त करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 15 की उप–धारा (2) के खंड (ख) तथा मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क नियम, 1949 के नियम 10 के उप–नियम (1) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए एक पृथक सब–मीटर स्थापित करना अपेक्षित होगा।

यह अधिसूचना दिनांक 1 सितम्बर, 2019 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी तथा 7 वर्षों तक प्रवृत्त रहेगी।

No. F-13-27-2016-XIII - Whereas, the Industrial Policy and Investment Promotion Department vide its order No. F-16-16-2018-A-XI, dated 29th August, 2018 has granted various special facilities, including exemption from electricity duty for the expansion and modernization project of unit No. 6 of M/s Vardhaman Yarn Limited in Satlapur, District Raisen with the condition that the project shall start its Commercial production in three years;

And, whereas, M.P. Industrial Development Corporation Limited vide its letter dated 12th December, 2019 has intimated that commercial production from the unit has been started on 1st September 2019;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam, 2012 (No. 17 of 2012), the State Government, hereby, exempts unit No. 6 of M/s Vardhaman Yarn Limited in Satlapur, District Raisen from payment of electricity duty on the Electricity sold or supplied by the Distribution Licensee to the existing high-tension connection for a period of seven years starting from 1st September, 2019:

Provided that such exemption from payment of electricity duty shall be available only on additional electrical load on the existing high tension connection due to unit No. 6:

Provided further that M/s Vardhaman Yarn Limited shall be required to install a separate sub-meter to avail exemption from payment of electricity duty on supply of power to its unit No. 6 from existing 132 KV connection in view of the provisions of clause (b) of sub-section (2) of Section 15 of the said Act and sub-rule (1) of Rule 10 of Madhya Pradesh Electricity Duty Rules, 1949.

This notification shall be deemed to have come into force from 1st September, 2019 and shall remain in force for 7 years.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. चतुर्वेदी, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

रायसेन, दिनांक 18 दिसम्बर 2019

क्र. 8163-एस.सी.शाखा-223-2019.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 3-2-1999-एक-4, भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2020 हेतु जिला रायसेन के लिये निम्नांकित तिथियों का स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है:—

स. क्र.	दिनांक	दिन	अवकाश का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	24 अक्टूबर 2020	शनिवार	महाष्टमी
2	16 नवम्बर 2020	सोमवार	भाई दूज (दीपावली)
3	27 नवम्बर 2020	शुक्रवार	उर्स

उक्त अवकाश जिले के कोषालय/उप कोषालयों के लिए लागू नहीं होंगे.

उमाशंकर भार्गव, कलेक्टर.

कार्यालय, कुलाधिपति, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर (मध्यप्रदेश)

आदेश

राजभवन, भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2020

क्र. एफ-1-5-19-रा.स.-यू.ए. 1-21.—मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (क्रमांक 19 सन् 2011) की धारा 12 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, लाल जी टंडन, कुलाधिपति, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर एतद्द्वारा डॉ. त्रिभुवन नाथ दुबे, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, मेडीसिन विभाग, गांधी मेडीकल कालेज, भोपाल (म. प्र.) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि अथवा 70 वर्ष की आयु जो भी पूर्वतर हो के लिए मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर का कुलपति नियुक्त करता हूं.

(2) इनकी सेवा की शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम-1 के अनुसार शासित होंगी.

लाल जी टंडन, कुलाधिपति.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 08-अ-82-2017-18 सीहोर, दिनांक 23 दिसम्बर 2019

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचें दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में घोघरा परियोजना के निजी भूमि घोघरा परियोजना के बचगांव सरसोदिया उप नहर निमार्ण हेतु तहसील नसरूल्लागंज, जिला सीहोर के लियें आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लियें आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची

ग्राम बचगांव,तहसील नसरूल्लागंज,जिला

कमांक	कृषक का नाम व पिता /पति का नाम	खसरा कमांक	भूमि की कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकवा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	लक्ष्मण आ0 जगन्नाथ जाति खाती	17/1/2/1/1/2	0.866	-	0.866	0.089	-	0.089
2	मनोहर आ0 जगन्नाथ जाति खाती	17/1/2/2/2/3/2	-	1.315	1.315	-	0.036	0.036
3	मनुबाई पत्नि मांगीलाल जाति खाती	17/1/2/2/2/4/1	-	0.820	0.820	-	0.060	0.060
4	ईश्वरसिंह आ0 बद्रीलाल जाति खाती	17/1/2/2/2/4/2	0.812	-	0.812	0.065	-	0.065
	तदैव	17/1/2/2/2/5	0.397	-	0.397	0.044	-	0.044
	तदैव	17/1/3/2/2/1	0.397	-	0.397	0.016	-	0.016
5	पुष्पाबाई पत्नि ईश्वरसिंह जाति खाती	17/1/3/2/1	-	1.234	1.234	-	0.044	0.044
6	कौशल्याबाई पत्नि रामनारायण जाति खाती	17/1/3/2/2/2	1.238	-	1.238	0.060	-	0.060
7	रामनारायण आ0 बद्रीलाल जाति खाती	17/1/3/2/3	-	1.635	1.635	-	0.073	0.073
	तदैव	17/1/3/2/4	-	0.829	0.829	-	0.053	0.053
8	रमेश पुत्र रामअवतार जाति जाट	17/1/1/1	4.047	-	4.047	0.263	-	0.263
9	जगदीश पुत्र रामअवतार जाति जाट	17/1/1/2	4.047	-	4.047	0.146	-	0.146
10	बलराम पुत्र रामअवतार जाति जाट	17/1/1/3	4.047	-	4.047	0.154	-	0.154
11	इन्द्रा बेवा रामअवतार जाति जाट	17/1/1/4	-	4.047	4.047	-	0.194	0.194
12	लखनलाल पुत्र श्रीराम जाति कलौता	17/3/ग	0.773	-	0.773	0.020	-	0.020
13	हरिओम आ0 सीताराम जाति खाती	17/3/4	1.619	-	1.619	0.056	-	0.056
14	सीताराम आ0 झब्बू जाति कलौता	17/3/1/2	1.498	-	1.498	0.073	-	0.073
15	हरिशंकर आ0 सीताराम जाति कलौता	17/3/1/1	-	1.619	1.619	-	0.081	0.081

16	महेश आ0 सुन्दरलाल जाति कलौता	17/4/2/ख	-	1.214	1.214	-	0.101	0.101
17	सुरेश आ0 सुन्दरलाल जाति कलौता	17/4/2/ग	-	1.214	1.214	-	0.040	0.040
18	मणीबाई पत्नि बाबूलाल जाति जाट	138,139,140/1/1	-	0.454	0.454	-	0.081	0.081
	तदैव	138,139,140/2/1	-	1.343	1.343	-	0.162	0.162
19	हेमराज आ0 हिन्दूजी जाति जाट	138,139,140/1/2/2	-	0.713	0.713	-	0.060	0.060
20	रामलाल आ0 हिन्दूजी जाति जाट	138,139,140/2/2	3.597	-	3.597	0.231	-	0.231
21	धापूबाई पत्नि शंकरलाल जाति बढ़ई	146/1/2/ख	2.023	-	2.023	-	0.142	0.142
22	राधेश्याम आ0 रामप्रसाद जाति खाती	146/1/1/3	-	0.236	0.236	-	0.016	0.016
23	अनुराधा पत्नि राधेश्याम जाति खाती	146/2/3/1/1/1	0.210	-	0.210	0.056	-	0.056
	तदैव	146/1/1/2	1.517	-	1.517	0.060	-	0.060
	तदैव	146/1/1/1	1.517	-	1.517	0.053	-	0.053
24	दीपक आ0 श्यामलाल जाति बढ़ई	146/2/3/2/1	-	1.011	1.011	-	0.145	0.145
	योग :–		28.605	17.684	46.289	1.386	1.288	2.674

(1) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)व कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।

(2) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाही के पूरा हो जाने के समय प्रांरभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भू–अर्जन) सीहोर की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेंगा /कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा।

3. चूकि सिंचाई परियोजना उप नहर निमार्ण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है। जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उप धारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) समुचित सरकार की बेबसाइ www.sehore.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।
(4) घोघरा सिंचाई परियोजना की बचगॉव,सरसोदिया उप नहर निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियो की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से पुनर्व्यवस्थान की आवश्यकता नही है। अतः धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सारांश निरंक है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 0001-अ-82-19-20 कटनी, दिनांक 23 दिसम्बर 2019

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया हैं की नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कॉलम नंबर 6 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं। इस हेतु अनुसूची(2)मेंवर्णित भूमिवासियों का भूमि का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013(क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अर्न्तगतयह घोषित किया जाता हैं कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं:-

अनुसूची - 1

जिला	तहसील	रा०नि०मं०	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
कटनी	कटनी	पहाडी	हिरवारा	0.64	कटनी ग्रेड सेपरेटर बायपास लाइन परियोजना बनाने हेतु भू-अर्जन

अनुसूची- 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्रमांक	कृषक का नाम पिता/ पति का नाम	खसरा	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण			
				सिचिंत	असिंचित	कुल	भवन का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कल्पना पुत्री श्यामकरण शर्मा सुमन पत्नी हरिशंकर	1003/1	0.24		0.20	0.20	
2.	विजय सिंह वल्द बैनी सिंह चौहान	1003/2	0.33				
3.	निखिल वल्द नवल किशोर गटटानी	1003/3	0.01				
4.	संजय नारायण वल्द भगवानदास जायसवाल	1003/4	0.24				
5.	भंयक वल्द सुशील कुमार गुप्ता	1003/5	0.02				
6.	रामकिंकर वल्द मोहन सा० खमरिया	1005/2	0.38		0.17	0.17	
7.	शकुन बाई पत्नी काशीराम चंदेल सिंह ठाकुर	1095	0.02		0.02	0.02	
8.	किरण ध.प.माधव प्रसाद शर्मा	1096	0.02		0.02	0.02	
9.	सुनील कुमार सतीश कुमार संजय कुमार वल्द रोहिणी प्रसाद शर्मा	1097	0.02		0.02	0.02	

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	शेख वहीद वल्द शेख वजीर उमा पत्नि शिवकुमार शिवांश शिशिर वल्द शिवकुमार शिप्रा पुत्री शिवकुमार जायसवाल	356	0.01		0.01	0.01	मकान एवं दुकाने
11.	शाहरूख वल्द अब्दुलगफफार सिददकी						
12.	शेख सरीफ वल्द शेखवजीर						
13.	अब्दुल गनी वल्द शेख गुलाम						
14.	मो जमील वल्द मो हनीफ						
15.	शेख आदिलना०बा०वल्द वल्द शेख आबिद शेख वल्द शेख रज्जाक						
16.	मालती पत्नी वेदप्रकाश कुशवाहा	361/1			0.01	0.01	मौके पर सडक हिरवारा की ओर
17.	भगवनिया देवी पत्नी बलराम नोनिया	361/2			0.01		
18.	नवीन कुमार वल्द तपेश्वरदयाल सीमा पुत्री तपेश्वरदयाल वीरेन्द्रीबाई पत्नी तपेश्वरदयाल सक्सेना	362/1	0.01		0.01	0.01	मकान एवं दुकाने
19.	कुनाल वल्द प्रवीण कुमार						
20.	ममता बाई पत्नी शैलेन्द्र						
21.	ऋषि वल्द सुचीन्द्र कुमार						
22.	कृति वल्द प्रवीण कुमार						
23.	हितेन्द्र सिंहवल्द सुरेन्द्रबहादुर सिंह						
24.	कार्तिक वल्द नबल						

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	शैलेन्द्र प्रवीण सुचीन्द्र वल्द तापेश्वर दयाल सक्सेना	362/2	0.01		0.01	0.01	
26.	राजीवकुमार वल्द शंकरलाल शर्मा	1098/1	0.09				
27.	रामप्रसादवल्द सीतारामपाठक						
28.	दीपाली पत्नी शैलेन्द्र जैन	1098/2	0.01				मकान
29.	रामकिशोर वल्द बैजूलाल रामधनी वल्द बैजूलाल कुडार	1098/3	0.03				
30.	लवकुश वल्द रमेश कुमार सोनी	1098/4	0.01				
31.	श्यामसुन्दर वल्द सरजूप्रसाद यादव	1098/5	0.01				
32.	जीवनलाल वल्द मोहनलाल चौधरी	1098/6	0.01				
33.	राजकुमार सविता पिता रामदौर पाल	1098/7	0.07				
34.	चन्द्रशेखर वल्द रामरतन मेहरा	1098/8	0.02		0.20	0.20	
35.	रामेश्वर प्रसाद वल्द शिवराम पाठक	1098/9	0.02				
36.	पुरूषोत्तम गोपाल वल्द गोपाल राव	1098/10	0.01				मकान
37.	रामसिंह वल्द बाबूलाल पटेल	1098/11	0.01				
38.	भूरेलाल वल्द जियालाल नाई	1098/12	0.02				
39.	गौरीशंकर वल्द श्यामलाल	1098/13	0.02				
40.	मधु पत्नी सतीश कुमार	1098/14	0.01				
41.	माधवप्रसाद वल्द रामेश्वर प्रसाद जोशी	1098/15	0.01				
42.	अब्दुल मतीन वल्दअब्दुल सलाम	1098/16	0.01				
43.	रियाज अहमद वल्द गुलाम हबीब	1098/17	0.01				
44.	रतनलाल वल्द नन्हेलाल राय	1098/18	0.01				
45.	सी.एल.वल्द सतैया अभिनय वल्द अम्बिका प्रसाद सूर्यवंशी	1098/19	0.03				
46.	छगन सिंह वल्द फालेन्द्र सिंह परिहार	1098/20	0.01				
47.	सुनील कुमार सतीशकुमार संजय कुमार वल्द रोहिणी प्रसाद शर्मा	1098/21	0.01				
48.	सुशीला ध.प.जीवनलाल चौंधरी	1098/22	0.01				
49.	मोहनलाल वल्द बेनी माधव त्रिपाठी ए.एन.वल्द टी.एन.मिश्रा	1098/23	0.02				
50.	गुडडीबाई पत्नी रविशंकर चौंरसिया	1098/24	0.03				
51.	अनीता पत्नी नीलकंठ बर्डे	1098/25	0.03				
52.	अज्जू अंसारी वल्द गुलाम अंसारी रीनू अंसारी पुत्री गुलाम अंसारी	1098/26	0.01				

1	2	3	4	5	6	7	8
53.	मनीशेंद्रमणि वल्द मनीराम शर्मा	1098/27	0.01				
54.	शुभम वल्द रामअवतार विश्वकर्मा	1098/28	001				
55.	संजय वल्द ओमप्रकाश शर्मा	1098/29	0.01				
56.	सर्वव्यापी वल्द प्रताप बारसकर	1098/30	0.01				
57.	वीरेन्द्र वल्द रामप्यारे शर्मा	1098/31	0.01				
58.	अन्नपूर्णा पत्नी मनोज कुमार शर्मा	1098/32	0.01				
59.	संदीप वल्द सुन्दरलाल विश्वकर्मा	1098/33	0.01				
	योग				0.64	0.64	

2 - चूँकि **कटनी ग्रेड सेपरेटर बायपास लाइन परियोजना बनाने हेतु भू-अर्जन** किए जाने हेतू हितबद्ध व्यक्तियो की भूमि का अर्जन प्रस्तावित हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं हैं।

3. भूमि का नक्शा(प्लॉन) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी कटनी के न्यायालय में किया जा सकता हैं।

4 - समुचित सरकार की बेबसाइट dmkatni@nic.inपर भी अपलोड किया गया हैं।

5. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है को अधिनिर्णय की तारीख से 1 वर्ष की अवधि तक प्रतिमाह तीन हजार की समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
6. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो भी विस्थापित हुआ है को कुटुंब भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की सहायता दी जाएगी।
7. प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पच्चास हजार रूपये का एक बार पुर्नव्यवस्थापन भत्ता दिया जाएगा।
8. प्रभावित कुटुंब को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रेशन के लिए संदेय स्टाम्प शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
9. प्रभावित कुटुंब को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होगी।
10. जनसमुदाय आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नी और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
11. जन समुदाय की पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्च पर निम्नलिखित और रचनात्मक सहूलियत और मूलभूत नियम सुविधाएं यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कॉलोनी में पुनव्यवस्था पर जनसमुदाय स्वयं के लिए एक युक्ति युक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें।

(11.1) युक्तियुक्त वासियों और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित साहू लिए थे और संसाधन उपलब्ध कर जाएंगी।

(11.2) सभी पुनर्व्यवस्था कुटुंब के लिए पुनर व्यवस्था पित ग्रामों की भीतर सड़क और पक्की सड़क मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

(11.3) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन की पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं भारत सरकार द्वारा वित्त मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन

(11.4) भारत सरकार ढारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुम्ब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।

(11.5) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था

(11.6) राज्य की स्वीकार अनुपात के अनुसार चारागा

(11.7) उचित मूल्य की दुकान की युक्ति युक्त संख्या

(11.8) यथोचित पंचायत घर

(11.9) जाति,समुदायों और उनके प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह

(11.10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिंदु

(11.11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा के गैर -परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

(11.12) शिशु और माता को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनवाड़ी

(11.13) निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2209 का 35) के अनुसार विद्यालय बंधुओं के अनुसार विद्यालय

(11.14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केंद्र

(11.15) भारत सरकार द्वारा यथावत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

(11.16) बच्चों के लिए क्रीडा क्षेत्र

(11.17) प्रत्येक 100 कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केंद्र

(11.18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक 50 पदों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/ वृक्ष चौतरा

(11.19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो

(11.20) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केंद्र

12. विस्थापित कुटुंब को 30x30 वर्गफुट का शासकीय आवासीय पट्टा दिया जाएगा

प्रभावित कुटुंब द्वारा प्रकरण में अधिनियम 2013 की धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक को प्रभावित मकानों में निवास करने एवं 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करने पर पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन स्कीम के तहत अनुदान सहायता एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकारो और पुनर्वास तथा प्रतिसथापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भूमि अर्जन अधिकारी कटनी जिला कटनी के कार्यालय में दिनांक..... को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकार के दावों की रकम और विष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)एवं भू अर्जन अधिकारी कटनी जिला कटनी तथा परियोजना प्रबंधक कटनी पी.एम.यू जल संसाधन विभाग कटनी जिला कटनी के कार्यालय में किया जा सकता हैं।

क्र. 0001-अ-82-19-20

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया हैं की नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कॉलम नंबर 6 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं। इस हेतु अनुसूची(2)मेंवर्णित भूमिवासियों का भूमि का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013(क्रंमाक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अर्न्तगतयह घोषित किया जाता हैं कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं:-

अनुसूची - 1

जिला	तहसील	रा०नि०मं०	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
कटनी	कटनी	पहाडी	पड़रिया	1.50	कटनी ग्रेड सेपरेटर बायपास लाइन परियोजना बनाने हेतु भू-अर्जन

अनुसूची- 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्रमांक	कृषक का नाम पिता/ पति का नाम	खसरा	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण		
				सिचिंत	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	रामप्रताप सुदामाप्रसाद राजकुमार वल्द रामलोचन तारादेवी रानीदेवी ऊर्फ उर्मिला पुत्री रामलोचन चतुर्वेदी	956/2	0.12		0.02	0.02
2.	जुगराज वल्द रामचरण साहू	956/3	0.12			
3.	विपिनकुमार वल्द राजकुमार चतुर्वेदी	956/4	0.03			
4.	प्रेमशंकर वल्द ब्रम्हदेव प्रसाद गुप्ता	956/5	0.01			
5.	संजय बारस्कर वल्द रामभाउ बारस्कर	956/6	0.09			
6.	मनीष वल्द मनभरन कचेर	956/7	0.02			
7.	अशोक कुमार वल्द सीताराम साव	956/8	0.01			
8.	श्रीमति शालिनी पत्नी जयन्तकुमार श्रीवास्तव	956/9	0.02			
9.	मयंक वल्द कृष्णकुमार श्रीवास्तव	956/10	0.02			
10.	अमिता पत्नि सचिन्द्र सक्सेना	956/11	0.02			
11.	पूजा पत्नि बलवंतराव कापसे	956/12	0.02			
12.	प्रमोदकुमार वल्द गणेश प्रसाद सोनी	956/13	0.02			
13.	संतोष कुमार वल्द फूलचंद साहू	956/14	0.01			
14.	शोभित वल्द अनिल कुमार पाण्डेय	956/15	0.02			

1	2	3	4	5	6	7
15.	भरतप्रसाद वल्द अजय कुमार साह	956/16	0.01			
16.	श्रवण कुमार वल्द जीवराखन साहू	956/17	0.01			
17.	दीपक कुमार वल्द राजकुमार चतुर्वेदी	956/18	0.03			
18.	विकासकुमार वल्दराजकुमार चतुर्वेदी	956/19	0.03			
19.	राजेन्द्र वल्द रामभाऊ बारस्कर	956/20	0.02			
20.	रितेशकुमार वल्द कृष्णराम	956/21	0.01			
21.	किरणलता पत्नि रामचरण चौंधरी	956/22	0.01			
22.	शशिकान्त वल्द बलराम तेली	956/23	0.01			
23.	चंदन कुमार वल्दरामजनम मेहता	956/24	0.01			
24.	महेन्द्र प्रसादवल्द महावीरा साव	956/25	0.01			
25.	आकाश सिंह वल्द मोले सिंह	956/26	0.01			
26.	सीमांत मौर्य वल्दजगदीश प्रसाद मौर्य	956/27	0.01			
27.	हरजीत सिंह वल्द राजेन्द्र सिंह राना	956/28	0.01			
28.	संजीत वल्द राजेन्द्र सिंह	956/29	0.01			
29.	नितिर वल्द डोमन नाग	956/30	0.01			
30.	प्रमोदसिंह वल्द रामअवतार राणा	956/31	0.01			
31.	राजू कुमार वल्द देवनारायण प्रसाद	956/32	0.01			
32.	रामप्रताप सुदामा प्रसाद राजकुमार वल्दरामलोचन चतुर्वेदी	955	0.47		0.11	0.11
33.	संतोष कुमार वल्द नारायण कुर्मी	953	0.06		0.01	0.01
34.	सरस्वती पुत्री भगवानदास कुर्मी	951	0.08		0.05	0.05
35.	भरतलाल गिरवर प्रसाद दुबे	972/1	0.26			
36.	सुभानी वल्द स्व.मार्टिन भेंगरा	972/2	0.01			
37.	विक्रमसिंह वल्द एच.सिंह राजपूत	972/3	0.01			
38.	प्रकाश वल्द भरतलाल दुबे	972/4	0.01		0.20	0.20
39.	दीक्षा वल्द भरतलाल दुबे	972/5	0.01			
40.	विकास वल्द भरतलाल दुबे	972/6	0.01			
41.	आशा पत्नि वामनराव लोखंडे	972/7	0.01			
42.	पूनम पत्नि राजकुमार भनोत्रा	972/8	0.01			
43.	अनीता फलोर देशमुख पत्नी फलोर देशमुख	972/9	0.01			
44.	मनीषवल्द भादूराम आरसे	972/10	0.01			

45.	नरेश कुमार वल्द रामफल तिवारी	972/11	0.01			
46.	महेश कुमार वल्द मंशाराम भनारिया	972/12	0.01			
47.	आदित्य कुमार वल्द हीरामन चक्रवर्ती	972/13	0.01			
48.	आदर्श कुमार कुंजबिहारी तिवारी	972/14	0.01			
49.	राकेश ऊर्फ राजू वल्द भूरा साहू	973/1	0.01		0.01	0.01
50.	रोहित वल्द वंदना चडार	973/2	0.01		0.01	0.01
51.	फत्तू छोटेलाल वल्द रामदास कोल	974	0.39		0.02	0.02
52.	मंतीबाई लछियाबाई फल्लोबाई पुत्री भारत मोहन वल्दरामस्वरूप दस्सो गीता गुल्लू चुटुदानी पुत्री रामस्वरूप नरबद वल्द भारत बर्मन	975/1	0.42		0.06	0.06
53.	मिथलेश वल्द नरबद बर्मन	975/2	0.04			
54.	अंजली वल्द नरबद बर्मन	975/3	0.04			
55.	विनोदकुमार वल्द मोहनलाल बर्मन	975/4	0.04			
56.	मनोजकुमार वल्द मोहनलाल बर्मन	975/5	0.04			
57.	संगीता पत्नि किशन बर्मन	975/6	0.04			
58.	राकेश कुमार वल्द नरबद प्रसाद बर्मन	975/7	0.04			
59.	घनश्याम कृष्णकुमार जयराम वल्द किशोरीलाल सरोज पुत्री किशोरीलाल बसन्तीबाई पत्नि किशोरीललाल रजक	976/1	0.42		0.04	0.04
60.	अजयकुमार वल्द कृष्णकुमार रजक	976/2	0.04			
61.	भूरीबाई चन्द्रकली पत्नी स्व.मोहन कुर्मी	758/1	0.16	0.06		0.06
62.	सुनील वल्द नारायण पटेल	758/2	0.02			
63.	रघुवीर वल्द अंबिका पटेल	758/3	0.02			
64.	अनुसुईया बा० अंकित ना०बा०वल्द दादूराम बली मॉ श्यामबाई पत्नी दादूराम	758/4	0.09			
65.	ब्रजभूषण वल्द कोदूलाल शशि सीमा वल्द कोदूलाल दुबे	970	0.40		0.02	0.02
66.	कुंवरलाल ऊर्फ रामसहाय वल्द चुनबद्धी	760/1	0.22	0.12		
67.	शारदा प्रसाद वल्द रामसहाय ऊर्फ कुंवरलाल बर्मन	760/2	0.18			0.12
68.	अशोक कुमार वल्द कुंवरलाल ऊर्फ रामसहाय बर्मन	760/3	0.17			
69.	सुनील ऊर्फ प्रदीप वल्द कुंवरलाल ऊर्फ रामसहाय	760/4	0.17			
70.	जितेंन्द्र कुमार वल्द कुंवरलाल ऊर्फ रामसहाय	760/5	0.17			

1	2	3	4	5	6	7
71.	अनिल कुमार वल्द कुंवरलाल ऊर्फ रामसहाय	760/6	0.16			
72.	स्वतंत्र वल्द कुंवरलाल ऊर्फ रामसहाय	760/7	0.15			
73.	प्रंभश प्रकाश वल्द प्रकाशचंद गढ़वाल	760/8	0.01			
74.	अभिषेककुमार नाबा० वल्द बली शारदा प्रसाद वल्द कुंवरलाल ऊर्फ रामसहाय	760/9	0.01			
75.	पुष्पराज नाबा०वल्द बी अशोक कुमार बर्मन	760/10	0.04			
76.	उमासिंह पत्नी राकेश सिंह चौंहान	760/11	0.01			
77.	सरिता सिंह पत्नि अवधेशसिंह	760/12	0.01			
78.	धनजयसिंह वल्द जगदीशसिंह	760/13	0.01			
79.	संजयकुमार वल्द जगदीश सिंह	760/14	0.01			
80.	प्रतीक दुबे वल्द श्रीराम दुबे	760/15	0.01			
81.	प्रमोद सिंह वल्द राजकरण सिंह	760/16	0.01			
82.	राजकुमार वल्द नाथूराम खम्परिया	760/17	0.01			
83.	उमेशकुमार वल्द विजयकुमार	760/18	0.01			
84.	दुष्यंतप्रताप सिंह नाबा० वल्द शैलेन्द्रसिंह गौर बली मॉ सुनीतासिंह गौर	760/19	0.01			
85.	योग्या सिंह वल्द शैलेन्द्र सिंह गौर	760/20	0.01			
86.	अन्दीप वल्द जगदीश बर्मन	760/21	0.01			
87.	आदित्य नाबा०वल्द बली विजय कुमार बर्मन	760/22	0.01			
88.	अरमान नाबा०वल्द विनोद कुमार वल्द राजकुमार वर्मन	760/23	0.01			
89.	अमन नाबा०वल्द संतोषकुमार बर्मन वल्द रामकुमार बर्मन	760/24	0.01			
90.	प्रशांत नाबा० वल्द बली प्रदीपकुमार वल्द रामकुमार बर्मन	760/25	0.01			
91.	श्वेता वल्द बैजनाथ साहू	760/26	0.01			
92.	हीरामणी वल्द भगवानदास दिवाकर ना०बा०वल्द धरमदास अनीता राजश्री ना०बा०पुत्री धरमदास वली व खुद करूणा ध०प०धर्मदास सरस्वती पुत्री भगवानदास नारायण सुग्रीव वल्द शम्भू	791	0.04		0.04	
93.	सरोजबाई पत्नी संतोषकुमार पटेल	790	0.06		0.01	
94.	लखनकुमार वल्द गौरीशंकर तिवारी	792	0.08		0.04	

1	2	3	4	5	6	7
95.	गौरीशंकर वल्द अंगद प्रसाद तिवारी	793	0.06		0.06	0.06
96.	सुखलाल ब्रजलाल राजाराम वल्द गनपत गौरीबाई बेबा गनपत रजक	(1024 /1148) 1148 / 1	0.65		0.11	0.11
97.	रामलाल वल्द मारू रजक	(1024/1148) 1148/2	0.65			
98.	कोदू वल्द कंदू कोल	1124	0.82		0.04	0.04
99.	राजा रेखा नाबा0 वल्द बुद्धुलाल बली मॉ व खुद श्यामाबाई बेबा बुद्धूलाल मुन्ना भददी वल्द अवसेरी कोल	1125	0.87		0.01	0.01
100.	गौरीबाई पति गनपत रजक	945	0.40		0.20	0.20
101.	रामलाल वल्द मारू रजक	946/1	0.15	0.17		0.17
102.	विनय कुमार वल्द रामकुमार पटेल	946/2	0.15			
103.	सिपाही वल्द बुधई नाई	948	0.22		0.09	0.09
	योग			1.50		1.50

2 - चूँकि **कटनी ग्रेड सेपरेटर बायपास लाइन परियोजना बनाने हेतु भू-अर्जन** किए जाने हेतू हितबद्ध व्यक्तियो की भूमि का अर्जन प्रस्तावित हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं हैं।

3. भूमि का नक्शा(प्लॉन) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी कटनी के न्यायालय में किया जा सकता हैं।

4 - समुचित सरकार की बेबसाइट dmkatni@nic.in पर भी अपलोड किया गया हैं।

5. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है को अधिनिर्णय की तारीख से 1 वर्ष की अवधि तक प्रतिमाह तीन हजार की समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
6. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो भी विस्थापित हुआ है को कुटुंब भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की सहायता दी जाएगी।
7. प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पच्चास हजार रूपये का एक बार पुर्नव्यवस्थापन भत्ता दिया जाएगा।
8. प्रभावित कुटुंब को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रेशन के लिए संदेय स्टाम्प शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
9. प्रभावित कुटुंब को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होगी।
10. जनसमुदाय आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नी और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।

11. जन समुदाय की पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित और रचनात्मक सहूलियत और मूलभूत नियम सुविधाएं यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कॉलोनी में पुनव्यवस्था पर जनसमुदाय स्वयं के लिए एक युक्ति युक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें।

(11.1) युक्तियुक्त वासियों और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित साहू लिए थे और संसाधन उपलब्ध कर जाएंगी।
(11.2) सभी पुनर्व्यवस्था कुटुंब के लिए पुनर व्यवस्था पित ग्रामों की भीतर सड़क और पक्की सड़क मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
(11.3) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन की पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं भारत सरकार द्वारा वित्त मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन
(11.4) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुम्ब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
(11.5) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था
(11.6) राज्य की स्वीकार अनुपात के अनुसार थारागा
(11.7) उचित मूल्य की दुकान की युक्ति युक्त संख्या
(11.8) यथोचित पंचायत घर
(11.9) जाति,समुदायों और उनके प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
(11.10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिंदु
(11.11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा के गैर -परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
(11.12) शिशु और माता को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनवाड़ी
(11.13) निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2209 का 35) के अनुसार विद्यालय बंधुओं के अनुसार विद्यालय
(11.14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केंद्र
(11.15) भारत सरकार द्वारा यथावत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
(11.16) बच्चों के लिए क्रीडा क्षेत्र
(11.17) प्रत्येक 100 कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केंद्र
(11.18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक 50 पदों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/ वृक्ष चौतरा
(11.19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
(11.20) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केंद्र

12. विस्थापित कुटुंब को 30x30 वर्गफुट का शासकीय आवासीय पट्टा दिया जाएगा

प्रभावित कुटुंब द्वारा प्रकरण में अधिनियम 2013 की धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक को प्रभावित मकानों में निवास करने एवं 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करने पर पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन स्कीम के तहत अनुदान सहायता एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकारो और पुनर्वास तथा प्रतिसथापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भूमि अर्जन अधिकारी कटनी जिला कटनी के कार्यालय में दिनांक..... को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकार के दावों की रकम और विष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)एवं भू अर्जन अधिकारी कटनी जिला कटनी तथा परियोजना प्रबंधक कटनी पी.एम.यू जल संसाधन विभाग कटनी जिला कटनी के कार्यालय में किया जा सकता हैं।

क्र. 0001-अ-82-19-20

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया हैं की नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कॉलम नंबर 6 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं। इस हेतु अनुसूची (2) मेंवर्णित भूमिवासियों का भूमि का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013(क्रंमाक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अर्न्तगत यह घोषित किया जाता हैं कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं:-

अनुसूची - 1

जिला	तहसील	रा०नि०मं०	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
कटनी	कटनी नगर	मुडवारा-01	मुडवारा	0.022	कटनी ग्रेड सेपरेटर बायपास लाइन परियोजना बनाने हेतु भू-अर्जन

अनुसूची- 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्रमांक	कृषक का नाम पिता/ पति का नाम	खसरा	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण			
				सिचिंत	असिंचित	कुल	भवन का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	नागपुर डायोसीयन ट्रस्ट एशोशियेशन कमीशन हाऊस नागपुर सेवा खातेदार	404/1	0.441		0.022	0.022	बॉडस्ले स्कूल की भवन का अंश भाग एवं बाउण्ड्रीवॉल के अंदर की भूमि
	योग				0.022	0.022	

2 - चूँकि **कटनी ग्रेड सेपरेटर बायपास लाइन परियोजना बनाने हेतु भू-अर्जन** किए जाने हेतू हितबद्ध व्यक्तियो की भूमि का अर्जन प्रस्तावित हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं हैं।

3. भूमि का नक्शा(प्लॉन) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी कटनी के न्यायालय में किया जा सकता हैं।

4 - समुचित सरकार की बेबसाइट dmkatni@nic.inपर भी अपलोड किया गया हैं।

5. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है को अधिनिर्णय की तारीख से 1 वर्ष की अवधि तक प्रतिमाह तीन हजार की समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
6. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो भी विस्थापित हुआ है को कुटुंब भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की सहायता दी जाएगी।
7. प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पच्चास हजार रूपये का एक बार पुर्नव्यवस्थापन भत्ता दिया जाएगा।
8. प्रभावित कुटुंब को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रेशन के लिए संदेय स्टाम्प शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
9. प्रभावित कुटुंब को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होगी।
10. जनसमुदाय आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नी और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
11. जन समुदाय की पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित और रचनात्मक सहूलियत और मूलभूत नियम सुविधाएं यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कॉलोनी में पुनव्यवस्था पर जनसमुदाय स्वयं के लिए एक युक्ति युक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें।

(11.1) युक्तियुक्त वासियों और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित साहू लिए थे और संसाधन उपलब्ध कर जाएंगी।
(11.2) सभी पुनर्व्यवस्था कुटुंब के लिए पुनर व्यवस्था पित ग्रामों की भीतर सड़क और पक्की सड़क मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
(11.3) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन की पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं भारत सरकार द्वारा वित्त मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन
(11.4) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुम्ब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
(11.5) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था
(11.6) राज्य की स्वीकार अनुपात के अनुसार चारागा
(11.7) उचित मूल्य की दुकान की युक्ति युक्त संख्या
(11.8) यथोचित पंचायत घर
(11.9) जाति,समुदायों और उनके प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
(11.10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिंदु
(11.11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा के गैर -परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
(11.12) शिशु और माता को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनवाड़ी
(11.13) निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2209 का 35) के अनुसार विद्यालय बंधुओं के अनुसार विद्यालय
(11.14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केंद्र
(11.15) भारत सरकार द्वारा यथावत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
(11.16) बच्चों के लिए क्रीडा क्षेत्र
(11.17) प्रत्येक 100 कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केंद्र
(11.18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक 50 पदों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/ वृक्ष चौतरा
(11.19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
(11.20) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केंद्र

12. विस्थापित कुटुंब को 30x30 वर्गफुट का शासकीय आवासीय पट्टा दिया जाएगा

प्रभावित कुटुंब द्वारा प्रकरण में अधिनियम 2013 की धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक को प्रभावित मकानों में निवास करने एवं 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करने पर पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन स्कीम के तहत अनुदान सहायता एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकारो और पुनर्वास तथा प्रतिसथापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भूमि अर्जन अधिकारी कटनी जिला कटनी के कार्यालय में दिनांक..... को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकार के दावों की रकम और विष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)एवं भू अर्जन अधिकारी कटनी जिला कटनी तथा परियोजना प्रबंधक कटनी पी.एम.यू जल संसाधन विभाग कटनी जिला कटनी के कार्यालय में किया जा सकता हैं।

क्र. 0001-अ-82-19-20

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया हैं की नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कॉलम नंबर 6 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं। इस हेतु अनुसूची(2)मेंवर्णित भूमिवासियों का भूमि का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013(क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अर्न्तगतयह घोषित किया जाता हैं कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं:-

अनुसूची - 1

जिला	तहसील	रा०नि०मं०	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
कटनी	कटनी	मुडवारा-02	कैलवाराखुर्द	0.100	कटनी ग्रेड सेपरेटर बायपास लाइन परियोजना बनाने हेतु भू-अर्जन

अनुसूची- 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्रमांक	कृषक का नाम पिता/ पति का नाम	खसरा	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण		
				सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	रामकुमार वल्द जुगुरूवा साहू	199/1	0.132		0.100	0.100
2.	आशीष वल्द एडवर्ड ज्वेल पॉल	199/2	0.007			
3.	डेनियल दास वल्द हरलदास ईसाई	199/3	0.007			
4.	रमा पत्नी मनीष गुप्ता	199/4	0.008			
5.	अनीता पत्नी रजनीश नायक	199/5	0.008			
6.	मंजु देवी पत्नी प्रमोद गौतम	199/6	0.010			
7.	अजय कुमार वल्द बाबूलाल	199/7	0.094			
8.	नीलेश कुमार वल्द उमाशंकर पाण्डेय	199/8	0.036			
9.	जवाहर वल्द श्री कृष्ण सुहाने	199/9	0.030			
10.	कपिल वल्द रामकिशोर तिवारी	199/10	0.024			
11.	कमलेश वल्द रामजी पांडे	199/11	0.027			
12.	शत्रुघ्न वल्द सूर्यादीन गुप्ता	199/12	0.018			
13.	लवकेश वल्द बंसत कुमार नामदेव नितिन वल्द ओमप्रकाश तपा, रूपा, पत्नी अमित श्रेयस ना०पुत्र अमित बलीमॉ रूपा कस्तोर	199/13	0.022			
14.	विनोद कुमार लोकराम सोनी	199/14	0.041			

15.	सरला पत्नी नीलाम्बर त्रिपाठी	199/15	0.010			
16.	विनीता पत्नी अखिलेश बडगैया	199/16	0.029			
17.	संजय वल्द सुरेशचंद पुरवार	199/17	0.046			
18.	मनोज वल्द सुरेशचंद पुरवार	199/18	0.011			
19.	अरविन्द वल्द हीराचंद अवस्थी	199/19	0.007			
	योग				0.100	0.100

2 - चूँकि **कटनी ग्रेड सेपरेटर बायपास लाइन परियोजना बनाने हेतु भू-अर्जन** किए जाने हेतू हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं हैं।

3. भूमि का नक्शा(प्लॉन) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी कटनी के न्यायालय में किया जा सकता हैं।

4 - समुचित सरकार की बेबसाइट dmkatni@nic.inपर पर भी अपलोड किया गया हैं।

5. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है को अधिनिर्णय की तारीख से 1 वर्ष की अवधि तक प्रतिमाह तीन हजार की समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
6. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो भी विस्थापित हुआ है को कुटुंब भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की सहायता दी जाएगी।
7. प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पच्चास हजार रूपये का एक बार पुर्नव्यवस्थापन भत्ता दिया जाएगा।
8. प्रभावित कुटुंब को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रेशन के लिए संदेय स्टाम्प शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
9. प्रभावित कुटुंब को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होगी।
10. जनसमुदाय आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नी और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
11. जन समुदाय की पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्च पर निम्नलिखित और रचनात्मक सहूलियत और मूलभूत नियम सुविधाएं यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कॉलोनी में पुनव्यवस्था पर जनसमुदाय स्वयं के लिए एक युक्ति युक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें।

(11.1) युक्तियुक्त वासियों और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित साहू लिए थे और संसाधन उपलब्ध कर जाएंगी।
(11.2) सभी पुनर्व्यवस्था कुटुंब के लिए पुनर व्यवस्था पित ग्रामों की भीतर सड़क ओर पक्की सड़क मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
(11.3) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन की पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं भारत सरकार द्वारा वित्त मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन
(11.4) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुम्ब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
(11.5) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था
(11.6) राज्य की स्वीकार अनुपात के अनुसार चारागा
(11.7) उचित मूल्य की दुकान की युक्ति युक्त संख्या
(11.8) यथोचित पंचायत घर
(11.9) जाति,समुदायों और उनके प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
(11.10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिंदु
(11.11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा के गैर -परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
(11.12) शिशु और माता को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनवाड़ी
(11.13) निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2209 का 35) के अनुसार विद्यालय बंधुओं के अनुसार विद्यालय
(11.14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केंद्र
(11.15) भारत सरकार द्वारा यथावत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
(11.16) बच्चों के लिए क्रीडा क्षेत्र
(11.17) प्रत्येक 100 कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केंद्र
(11.18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक 50 पदों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/ वृक्ष चौतरा
(11.19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
(11.20) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केंद्र

12. विस्थापित कुटुंब को 30x30 वर्गफुट का शासकीय आवासीय पट्टा दिया जाएगा

प्रभावित कुटुंब द्वारा प्रकरण में अधिनियम 2013 की धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक को प्रभावित मकानों में निवास करने एवं 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करने पर पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन स्कीम के तहत अनुदान सहायता एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकारो और पुनर्वास तथा प्रतिसथापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भूमि अर्जन अधिकारी कटनी जिला कटनी के कार्यालय में दिनांक..... को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकार के दावों की रकम और विष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)एवं भू अर्जन अधिकारी कटनी जिला कटनी तथा परियोजना प्रबंधक कटनी पी.एम.यू जल संसाधन विभाग कटनी जिला कटनी के कार्यालय में किया जा सकता हैं।

क्र. 0001-अ-82-19-20

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया हैं की नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कॉलम नंबर 6 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं। इस हेतु अनुसूची(2)मेंवर्णित भूमिवासियों का भूमि का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013(क्रंमाक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अर्न्तगतयह घोषित किया जाता हैं कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं:-

अनुसूची - 1

जिला	तहसील	रा०नि०मं०	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
कटनी	कटनी	पहाडी	झलवारा	0.82	कटनी ग्रेड सेपरेटर बायपास लाइन परियोजना बनाने हेतु भू-अर्जन

अनुसूची- 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्रमांक	कृषक का नाम पिता/ पति का नाम	खसरा	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण		
				सिचिंत	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	भुक्कीबाई पत्नी स्व0 भोला कवि रोशन नाबा0आशाबाई शकुन्तलाबाई नाबा0वल्द भोला बली मॉ भुक्कीबाई चमार	355	0.24		0.24	0.24
2.	बिसरती बेवा राममिलन गोड	357	0.20		0.20	0.20
3.	जयवीर वल्द बंसधारी सिंह	358	0.28		0.28	0.28
4.	सुरेशसिंह सुखचैनसिंह पप्पू सिंह वल्द शिवपाल सिंह सावित्रीबाई पुत्री शिवपाल सिंह बिसरती पत्नी स्व0 शिवपाल सिंह गोंड	362	1.00		0.01	0.01
5.	सुभद्रा दहिया पत्नी अजय दाहिया	360/1	0.01		0.09	0.09
6.	रामबाई पत्नी रमेश दाहिया	360/2	0.21			
7.	ओमप्रकाश वल्द रामबहादुर दुबे	360/3	0.01			
8.	राजकली पत्नी रविकुमार दाहिया चन्द्रकली पत्नी ओमकार दाहिया	360/4	0.04			
9.	जितेन्द्र चौधरी वल्द डब्बल प्रसाद चौधरी	360/5	0.01			
10.	सुरेन्द्र कुमार वल्द छोटेलाल	360/6	0.01			
11.	रंजीत सिंह वल्द भिकारी सिंह	360/7	0.01			
	योग			**0.82**		**0.82**

2 - चूँकि **कटनी ग्रेड सेपरेटर बायपास लाइन परियोजना बनाने हेतु भू-अर्जन** किए जाने हेतू हितबद्ध व्यक्तियो की भूमि का अर्जन प्रस्तावित हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं हैं।

3. भूमि का नक्शा(प्लॉन) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी कटनी के न्यायालय में किया जा सकता हैं।

4 - समुचित सरकार की बेबसाइट dmkatni@nic.in पर भी अपलोड किया गया हैं।

5. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है को अधिनिर्णय की तारीख से 1 वर्ष की अवधि तक प्रतिमाह तीन हजार की समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
6. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो भी विस्थापित हुआ है को कुटुंब भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की सहायता दी जाएगी।
7. प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पच्चास हजार रूपये का एक बार पुर्नव्यवस्थापन भत्ता दिया जाएगा।
8. प्रभावित कुटुंब को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रेशन के लिए संदेय स्टाम्प शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
9. प्रभावित कुटुंब को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होगी।
10. जनसमुदाय आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नी और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
11. जन समुदाय की पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित और रचनात्मक सहूलियत और मूलभूत नियम सुविधाएं यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कॉलोनी में पुनव्यवस्था पर जनसमुदाय स्वयं के लिए एक युक्ति युक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें।

(11.1) युक्तियुक्त वासियों और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित साधू लिए थे और संसाधन उपलब्ध कर जाएंगी।

(11.2) सभी पुनर्व्यवस्था कुटुंब के लिए पुनर व्यवस्था पित ग्रामों की भीतर सड़क और पक्की सड़क मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

(11.3) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन की पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं भारत सरकार द्वारा वित्त मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन

(11.4) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुम्ब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।

(11.5) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था

(11.6) राज्य की स्वीकार अनुपात के अनुसार चारागा

(11.7) उचित मूल्य की दुकान की युक्ति युक्त संख्या

(11.8) यथोचित पंचायत घर

(11.9) जाति,समुदायों और उनके प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह

(11.10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिंदु

(11.11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा के गैर -परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

(11.12) शिशु और माता को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनवाड़ी

(11.13) निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2209 का 35) के अनुसार विद्यालय बंधुओं के अनुसार विद्यालय

(11.14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केंद्र

(11.15) भारत सरकार द्वारा यथावत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

(11.16) बच्चों के लिए क्रीडा क्षेत्र

(11.17) प्रत्येक 100 कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केंद्र

(11.18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक 50 पदों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/ वृक्ष चौतरा

(11.19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो

(11.20) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केंद्र

12. विस्थापित कुटुंब को 30x30 वर्गफुट का शासकीय आवासीय पट्टा दिया जाएगा

प्रभावित कुटुंब द्वारा प्रकरण में अधिनियम 2013 की धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक को प्रभावित मकानों में निवास करने एवं 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करने पर पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन स्कीम के तहत अनुदान सहायता एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकारो और पुनर्वास तथा प्रतिसथापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भूमि अर्जन अधिकारी कटनी जिला कटनी के कार्यालय में दिनांक..... को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वार उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकार के दावों की रकम और विष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)एवं भू अर्जन अधिकारी कटनी जिला कटनी तथा परियोजना प्रबंधक कटनी पी.एम.यू जल संसाधन विभाग कटनी जिला कटनी के कार्यालय में किया जा सकता हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशिभूषण सिंह, कलेक्टर/समुचित सरकार एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 94-अ-82-17-18-47 सागर, दिनांक 2 जनवरी 2020

मौजा मुडियामेड़ा पटवारी हल्का नं. 29 तहसील राहतगढ

चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 मं वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग परियोजना प्रशासक बेतवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई, (बी.पी.आई.यू.-2) क्रमांक 2 राहतगढ जिला सागर को बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है। इस परियोजना मे निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूँकि परियोजना प्रशासक बेतवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई, (बी.पी.आई.यू.-2) क्रमांक 2 राहतगढ जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक J-12011/31/2014-IA-I द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होगे। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शितका का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबधित उपबंध लागू नहीं होगे परियोजना के निर्माण से लगभग 296 ग्रामों की लगभग 90,000 है, भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार मकानों की भूमि का अर्जन किया जाता है।

(1) परियोजना का नाम :- बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध

(2) भूमि का विवरण :-

1. जिला — सागर
2. तहसील — राहतगढ
3. ग्राम — मुडियामेडा
4. पटवारी हल्का नं. — 29
5. अर्जित भवन/परिसम्पतित्यों का विवरण कुल क्षेत्रफल वर्गमीटर — 3256.350 वर्गमीटर

:: अनुसूची -01::

ग्राम मुडियामेडा

स.क्र.	मकान धारक का विवरण	खसरा नं.	कुल रकवा (हे.मे.)	स्वामित्व का प्रकार	प्रभावित मकान का विवरण	प्रभावित मकान का क्षेत्रफल (वर्गमी. में)
1	2	3	4	5	6	7
1	तुलसीराम यादव पिता गनेश ग्राम मुडियामेडा	54	0.060	आबादी गांवठान	कच्चा	54.900
2	सूरतसींग यादव पिता रामलाल यादव ग्राम मुडियामेडा	54	0.060	आबादी गांवठान	कच्चा	54.320
3	सूरतसींग यादव पिता रामलाल यादव ग्राम मुडियामेडा	54	0.060	आबादी गांवठान	कच्चा	64.320
4	सुरेशराम पिता सूरजसींग यादव ग्राम मुडियामेडा	54	0.060	आबादी गांवठान	कच्चा	63.520
5	सीताबाई पत्नि सरदार सींग यादव ग्राम मुडियामेडा	53	0.120	शास. चरनोई	कच्चा	72.000
6	हरीसींग पिता सरदासींग ग्राम मुडियामेंडा	53	0.120	शास. चरनोई	कच्चा	64.000
7	दीना पिता सरदारसींग ग्राम मुडियामेंडा	53	0.120	शास. चरनोई	कच्चा	44.000
8	बलराम सींग पिता कुदऊ पटैल कुर्मी ग्राम मुडियामेडा	56	0.330	आबादी गांवठान	कच्चा	94.020
9	प्रेमसींग पटैल कुर्मी पिता कुदऊ पटैल कुर्मी ग्राम मुडियामेडा	56	0.330	आबादी गांवठान	कच्चा	48.040

10	हनुमान जी का मंदिर ग्राम मुडियामेडा	56	0.330	आबादी गांवठान	पक्का	73.770
11	रामप्यारे यादव पिता हरलाल यादव ग्राम मुडिया मेडा	56	0.330	आबादी गांवठान	कच्चा	83.000
12	नर्मदा पिता निरपत सींग यादव ग्राम मुडियामेडा	56	0.330	आबादी गांवठान	कच्चा	76.760
13	निरपत सिंह यादव पिता परसराम यादव ग्राम मुडियामेडा	56	0.330	आबादी गांवठान	कच्चा	72.720
14	प्रेमसींग पिता कुंजीलाल यादव ग्राम मुडियामेडा	56	0.330	आबादी गांवठान	कच्चा	38.600
15	राजेन्द्रसिंह पिता प्रेमसींग यादव ग्राम मुडियामेडा	56	0.330	आबादी गांवठान	कच्चा	145.900
16	राकेश सिंह यादव पिता प्रेमसींग यादव ग्राम मुडियामेडा	58	4.540	शास. चरनोई	कच्चा	42.500
17	रामबाबू पिता प्रेम सींग यादव ग्राम मुडियामेडा	58	4.540	शास. चरनोई	कच्चा	43.000
18	सुखदेव पिता पन्नालाल यादव ग्राम मुडियामेडा	58	4.540	शास. चरनोई	कच्चा	78.000
19	सुखदेव पिता पन्नालाल यादव ग्राम मुडियामेडा	58	4.540	शास. चरनोई	कच्चा	53.390
20	सुनील पिता नंदराम कुशवाहा ग्राम मुडियामेडा	58	4.540	शास. चरनोई	कच्चा	41.660
21	गोविन्द्र पिता नंदराम कुशवाहा ग्राम मुडियामेडा	58	4.540	शास. चरनोई	कच्चा	41.640
22	जानकी पिता नंदराम ग्राम मुडियामेडा	58	4.540	शास. चरनोई	कच्चा	41.640
23	शिवराज पिता हरलाल यादव ग्राम मुडियामेडा	58	4.540	शास. चरनोई	कच्चा	33.600
24	महेश पिता पन्नालाल यादव ग्राम मुडियामेडा	58	4.540	शास. चरनोई	कच्चा	59.400
25	दौलतसींग पिता मोहनलाल ग्राम मुडियामेडा	58	4.540	शास. चरनोई	कच्चा	63.250
26	रामबाबू यादव पिता शोभाराम यादव ग्राम मुडियामेडा	58	4.540	शास. चरनोई	कच्चा	63.820
27	कुंदनसींग पिता राजाराम यादव ग्राम मुडियामेडा	58	4.540	शास. चरनोई	कच्चा	93.280
28	वल्देव सींग ग्राम मुडियामेडा	56	0.330	आबादी गांवठान	कच्चा	29.920
29	भगवान सींग पिता दौलतसींग यादव ग्राम मुडियामेडा	56	0.330	आबादी गांवठान	कच्चा	115.200
30	राजेश सींग पिता दौलतसींग यादव ग्राम मुडियामेडा	56	0.330	आबादी गांवठान	कच्चा	115.150
31	गोकुल पिता दौलत सींग यादव ग्राम मुडियामेडा	56	0.330	आबादी गांवठान	पक्का कच्चा	100.680
32	हरीनारायण पिता लालचंद यादव एवं लक्ष्मी नारायणपिता लालचंद यादव ग्राम मुडियामेडा	56	0.330	आबादी गांवठान	कच्चा	64.610
33	बल्देव पिता मोहनलाल एवं अमरसींग पिता मोहनलाल यादव ग्राम मुडियामेडा	56	0.330	आबादी गांवठान	कच्चा	94.490

34	सुदर्शन पिता भीकमसींग ग्राम मुडियामेडा	56	0.330	आबादी गांवठान	कच्चा	40.480
35	लीलाकिशन पिता भीकमसींग ग्राम मुडियामेडा	56	0.330	आबादी गांवठान	कच्चा	40.480
36	हरिओम पिता भीकमसींग ग्राम मुडियामेडा	56	0.330	आबादी गांवठान	कच्चा	40.480
37	राधेश्याम यादव पिता फुलसीग यादव ग्राम मुडियामेडा	56	0.330	आबादी गांवठान	कच्चा	49.000
38	हरलाल यादव पिता फुलसींग यादव ग्राम मुडियामेडा	56	0.330	आबादी गांवठान	कच्चा	33.600
39	सरवन सींग यादव पिता फुलसीग यादव ग्राम मुडियामेडा	56	0.330	आबादी गांवठान	कच्चा	43.320
40	चंद्रभान सींग यादव पिता फुलसीग यादव ग्राम मुडियामेडा	56	0.330	आबादी गांवठान	कच्चा	76.500
41	भरतसीग यादव पिता हरलाल ग्राम मुडियामेडा	56	0.330	आबादी गांवठान	कच्चा	30.500
42	चंद्रेश पिता राधेश्याम यादव ग्राम मुडियामेडा	56	0.330	आबादी गांवठान	कच्चा	54.050
43	गोवर्धन पिता सरवन सींग यादव ग्राम मुडियामेडा	56	0.330	आबादी गांवठान	कच्चा	74.240
44	क्रांन्तिबाई पिता भीकमसींग यादव ग्राम मुडियामेडा	56	0.330	आबादी गांवठान	कच्चा	60.680
45	नारायणसींग पिता रामलाल यादव ग्राम मुडियामेडा	56	0.330	आबादी गांवठान	कच्चा	105.000
46	महेश पिता नारायण प्रसाद ग्राम मुडियामेडा	56	0.330	आबादी गांवठान	कच्चा	42.840
47	अवधरानी कुर्मी ग्राम मुडियामेडा	56	0.330	आबादी गांवठान	कच्चा	46.500
48	वीरसिंह कुर्मी ग्राम मुडियामेडा	56	0.330	आबादी गांवठान	कच्चा	117.340
49	भगवानसींग कुर्मी ग्राम मुडियामेडा	56	0.330	आबादी गांवठान	कच्चा	104.040
50	महेश पिता कुदऊ प्रसाद कुर्मी ग्राम मुडियामेडा	56	0.330	आबादी गांवठान	कच्चा	36.100
51	रामकेश पटेल कुर्मी पिता कुदऊ कुर्मी ग्राम मुडियामेडा	56	0.330	आबादी गांवठान	कच्चा	36.100
	कुल योगः–	4 किता	5.050			3256.350

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक–एफ 16–15–(7)2014–सात–शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक–2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू–अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को,जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू–अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशत किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रशासक बेतवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई, (बी.पी.आई.यू.–2) क्रमांक 2 राहतगढ जिला–सागर प्रभारी अधिकारी, भू–अर्जन शाखा जिला सागर के निद्रेशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक–एफ 16–15–(7)2014–सात–शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक–2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू–अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को,जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी भू–अर्जन शाखा जिला सागर को अधिनियम की धारा 16 द्वारा पुर्नव्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेगें। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रशासक बेतवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई, (बी.पी.आई.यू.–2) क्रमांक 2 राहतगढ जिला–सागर समुचित सहयोग करगें एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करगें।

अधिनियम की धारा 11(4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रम विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेगें।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रशासक बेतवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई, (बी.पी.आई.यू.–2) क्रमांक 2 राहतगढ जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रशासक बेतवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई, (बी.पी.आई.यू.–2) क्रमांक 2 राहतगढ जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 95-अ-82-2017-18-46

मौजा सेमरामेडा पटवारी हल्का नं. 28 तहसील राहतगढ

चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची–1 मं वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग परियोजना प्रशासक बेतवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई, (बी.पी.आई.यू.–2) क्रमांक 2 राहतगढ जिला सागर को बीना संयुक्त सिंचाइ एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है। इस परियोजना मे निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूँकि परियोजना प्रशासक बेतवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई, (बी.पी. आई.यू.–2) क्रमांक 2 राहतगढ जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक J-12011/31/2014-IA-I द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होगे। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शितका का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबधित उपबंध लागू नहीं होगे परियोजना के निर्माण से लगभग 296 ग्रामों की लगभग 90,000 है, भूमि सिचिंत होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार मकानों का अर्जन किया जाता है।

(1) परियोजना का नाम :– बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चकरपुर बांध

(2) भूमि का विवरण :–

1.	जिला	सागर	
2.	तहसील	राहतगढ	
3.	ग्राम	सेमरामेडा	
4.	पटवारी हल्का नं.	28	
5.	अर्जित भवन/परिसम्पतित्यों का विवरण कुल क्षेत्रफल वर्गमीटर	5179.290	वर्गमीटर

:: अनुसूची –01::

ग्राम सेमरा मेडा

स.क्र.	मकान धारक का विवरण	खसरा नं.	कुल रकवा	स्वामित्व का प्रकार	प्रभावित मकान का विवरण	प्रभावित मकान का क्षेत्रफल (वर्गमी. में)
1	2	3	4	5	6	7
1	सूरेश बंसल पिता गुलाब बंसल ग्राम सेमरामेडा	140/2	0.200	शास. आबादी गॉवठान	कच्चा	142.870
2	राजाराम पिता रामदयाल यादव ग्राम सेमरामेडा	148	54.570	शास. चरनोई	कच्चा	51.600
3	मुन्नालाल सेन पिता गजासेन ग्राम सेमरामेडा	140/2	0.200	शास. आबादी गॉवठान	कच्चा	79.330
4	भागबाई पति स्वं. राजू ग्राम सेमरामेडा	140/2	0.200	शास. आबादी गॉवठान	कच्चा	42.860
5	रम्मा पिता कल्लू बंसल ग्राम सेमरामेडा	140/2	0.200	शास. आबादी गॉवठान	कच्चा	131.930
6	गोर्वधन पिता रामचरण कुर्मी ग्राम सेमरामेडा	140/2	0.200	शास. आबादी गॉवठान	कच्चा	23.600
7	जगत सींग पिता मिंगे कुर्मी ग्राम सेमरामेडा	140/2	0.200	शास. आबादी गॉवठान	कच्चा	183.270

8	चन्दवती यादव पति ग्राम सेमरामेडा	140/2	0.200	शास. आबादी गॉवठान	कच्चा	238.260
9	अर्जन सिंह यादव पिता ग्राम सेमरामेडा	140/2	0.200	शास. आबादी गॉवठान	कच्चा	177.710
10	मुंशी सेन पिता भैयालाल सेन ग्राम सेमरामेडा	140/2	0.200	शास. आबादी गॉवठान	कच्चा	108.560
11	वीरेन्द्र सिंह सेन पिता गोपाल सेन ग्राम सेमरामेडा	140/2	0.200	शास. आबादी गॉवठान	कच्चा	156.470
12	मोतीलाल सेन पिता गोपाल सेन ग्राम सेमरामेडा	140/2	0.200	शास. आबादी गॉवठान	पक्का	25.370
13	गोपाल सेन पिता ग्याप्रसाद सेन ग्राम सेमरामेडा	140/2	0.200	शास. आबादी गॉवठान	कच्चा	47.520
14	रामबाबू सेन पिता पूरन सेन ग्राम सेमरामेडा	140/2	0.200	शास. आबादी गॉवठान	कच्चा	33.970
15	खिलान यादव पिता पंचम यादव ग्राम सेमरामेडा	140/2	0.200	शास. आबादी गॉवठान	कच्चा	47.550
16	विनोद तिवारी पिता तीरथ प्रसाद तिवारी ग्राम सेमरामेडा	140/2	0.200	शास. आबादी गॉवठान	कच्चा	57.750
17	बलराम यादव पिता कन्छेदीलाल यादव ग्राम सेमरामेडा	140/2	0.200	शास. आबादी गॉवठान	कच्चा	140.540
18	कन्छेदीलाल यादव पिता पंचे यादव ग्राम सेमरामेडा	140/2	0.200	शास. आबादी गॉवठान	कच्चा	93.750
19	वीरसिंह ठाकुर पिता मेहताब ठाकुर ग्राम सेमरामेडा	140/2	0.200	शास. आबादी गॉवठान	कच्चा	97.480
20	नंदराम सेन पिता ग्याप्रसाद सेन ग्राम सेमरामेडा	140/2	0.200	शास. आबादी गॉवठान	कच्चा	137.740
21	रामलाल सेन पिता ग्या प्रसाद सेन ग्राम सेमरामेडा	140/2	0.200	शास. आबादी गॉवठान	पक्का	96.000
22	रामभरौसी सेन पिता सरवन कुर्मी ग्राम सेमरामेडा	140/2	0.200	शास. आबादी गॉवठान	पक्का कच्चा	27.000
23	रामअवतार कुर्मी पिता सरवन कुर्मी ग्राम सेमरामेडा	140/2	0.200	शास. आबादी गॉवठान	कच्चा	41.460
24	खेमचंद पिता गफलू सौर ग्राम सेमरामेडा	180	0.550	शास. आबादी गॉवठान	कच्चा	135.230
25	प्रेमबाई पति मोहन सौर ग्राम सेमरामेडा	180	0.550	शास. आबादी गॉवठान	कच्चा	135.170
26	अमानुबाई अहिरवार पति स्वं चैनसींग ग्राम सेमरामेडा	97/1	0.570	शास. आबादी गॉवठान	कच्चा	157.800
27	बलराम अहिरवार पिता अमरसिंह अहिरवार ग्राम सेमरामेडा	97/1	0.570	शास. आबादी गॉवठान	कच्चा	30.920
28	अमरसिंह अहिरवार पिता लक्ष्मण अहिरवार ग्राम सेमरामेडा	97/1	0.570	शास. आबादी गॉवठान	कच्चा	106.360
29	श्री राम अहिरवार पिता हल्कई ग्राम सेमरामेडा	97/1	0.570	शास. आबादी गॉवठान	पक्का	30.450
30	हल्कई पिता लक्ष्मन अहिरवार ग्राम सेमरामेडा	97/1	0.570	शास. आबादी गॉवठान	कच्चा	155.700

31	बाबूलाल सौर पिता गौरेलाल सौर ग्राम सेमरामेडा	97/1	0.570	शास. आबादी गॉवठान	कच्चा	132.200
32	रामसिंह सौर पिता नंदलाल सौर ग्राम सेमरामेडा	97/1	0.570	शास. आबादी गॉवठान	कच्चा	202.340
33	हरप्रसाद पिता परम सौर ग्राम सेमरामेडा	97/1	0.570	शास. आबादी गॉवठान	कच्चा	111.800
34	नन्हीबाई पति स्व परम सौर ग्राम सेमरामेडा	181	0.090	शास. चरनोई	कच्चा	95.700
35	पूरनलाल सौर पिता बल्लेसौर ग्राम सेमरामेडा	181	0.090	शास. चरनोई	कच्चा	109.180
36	बाबूलाल सौर पिता तिजैन ग्राम सेमरामेडा	180	0.550	शास. आबादी गॉवठान	कच्चा	25.830
37	नन्हे सौर पिता तिजैन सौर ग्राम सेमरामेडा	181	0.090	शास. चरनोई	कच्चा	24.140
38	लीलाधर सौर पिता हल्कई सौर ग्राम सेमरामेडा	182	0.500	शास. आबादी गॉवठान	कच्चा	107.86
39	रामकिशन सौर पिता पूरन सौर ग्राम सेमरामेडा	182	0.500	शास. आबादी गॉवठान	कच्चा	108.85
40	रामचरण सौर पिता बुद्देराम सौर ग्राम सेमरामेडा	182	0.500	शास. आबादी गॉवठान	कच्चा	93.48
41	रामगोपाल पिता भगुंत सौर ग्राम सेमरामेडा	182	0.500	शास. आबादी गॉवठान	कच्चा	77.4
42	मुरथ सौर पिता करनसिंह सौर ग्राम सेमरामेडा	182	0.500	शास. आबादी गॉवठान	कच्चा	80.64
43	धनीराम सौर पिता फदाली सौर ग्राम सेमरामेडा	182	0.500	शास. आबादी गॉवठान	कच्चा	98.37
44	नंदराम पिता फदाली सौर ग्राम सेमरामेडा	182	0.500	शास. आबादी गॉवठान	कच्चा	15.89
45	कमलेश पिता फदाली सौर ग्राम सेमरामेडा	182	0.500	शास. आबादी गॉवठान	कच्चा	15.89
46	काशीराम पिता देवी प्रसाद सौर ग्राम सेमरामेडा	182	0.500	शास. आबादी गॉवठान	कच्चा	95.96
47	शंतिबाई पति स्वं. माखन सौर ग्राम सेमरामेडा	182	0.500	शास. आबादी गॉवठान	कच्चा	96.04
48	तुलसीराम पिता बुद्दे सौर ग्राम सेमरामेडा	180	0.550	शास. आबादी गॉवठान	कच्चा	186.94
49	प्रेमबाई पति शंकर सौर ग्राम सेमरामेडा	180	0.550	शास. आबादी गॉवठान	कच्चा	79.34
50	अंतबाई पति गोकुल सौर ग्राम सेमरामेडा	182	0.500	शास. आबादी गॉवठान	कच्चा	26.62
51	फुलाबाई पति पंचे सौर ग्राम सेमरामेडा	182	0.500	शास. आबादी गॉवठान	कच्चा	82.43
52	रामप्रसाद पिता पंचे सौर ग्राम सेमरामेडा	182	0.500	शास. आबादी गॉवठान	कच्चा	107.33
53	दिपोबाई पति माखनलाल सौर ग्राम सेमरामेडा	123	0.140	शास. आबादी गॉवठान	कच्चा	68.6

54	इदरीश खान ग्राम सेमरामेडा	123	0.140	शास. आबादी गॉवठान	कच्चा	77.72
55	कारसदेव का स्थान	110	0.080	शास. आबादी गॉवठान	पक्का	35.24
56	केशरबाई पति स्व. रख्खे	123	0.140	शास. आबादी गॉवठान	कच्चा	89.28
	कुल योगः–	8 किता	56.700			5179.290

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक–एफ 16–15–(7)2014–सात–शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक–2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू–अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को,जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू–अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशत किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रशासक बेतवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई, (बी.पी.आई.यू.–2) क्रमांक 2 राहतगढ, प्रभारी अधिकारी, भू–अर्जन शाखा जिला सागर के निद्रेशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक–एफ 16–15–(7)2014–सात–शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक–2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू–अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को,जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी भू–अर्जन शाखा जिला सागर को अधिनियम की धारा 16 द्वारा पुर्नर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेगें। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रशासक बेतवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई, (बी.पी.आई.यू.–2) क्रमांक 2 राहतगढ, जिला–सागर समुचित सहयोग करगें एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करगें।

अधिनियम की धारा 11(4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रम विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेगें।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रशासक बेतवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई, (बी.पी.आई.यू.–2) क्रमांक 2 राहतगढ, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रशासक बेतवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई, (बी.पी.आई.यू.–2) क्रमांक 2 राहतगढ, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 35-अ-82-2019-20-257 सागर, दिनांक 9 जनवरी 2020

मौजा परासरी खुर्द पटवारी हल्का नं. 10 तहसील राहतगढ

चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची –1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग परियोजना प्रशासक बेतवा पी.आई.यू क्र –2 राहतगढ़ सागर को बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना मडिया बांध निमाण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिय आवश्यकंता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित की दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियो का विस्थापन आवश्यक हो गया है चूँकि परियोजना प्रशासक, वेतवा पी.आई.यू. क.–2 राहतगढ़ सागर द्वारा प्रमाणित किया गया हैं कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमाक J-12011/31/2014-IA-I द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक पुर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलाब्ध लागु नही होगे भूमी अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शितका का आधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहा पर्यावारण समाघात निर्धारण प्रकिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन अपेक्षित है वहा इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबधित उपबंध लागू नही होगे परियोजना के निर्माण से लगभग 296 ग्रामों की लगभग 90,000 है, भूमि सिचिंत होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 उपधारा (1) के उपबधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार मकानों की भूमि का अर्जन किया जाना है ।

(1) परियोजना का नाम :– बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना मडिया बांध

(2) भूमि का विवरण :–

1. जिला सागर
2. तहसील राहतगढ
3. ग्राम परासरी खुर्द
4. पटवारी हल्का नं. 10
5. अर्जित भवन/परिसम्पतित्यों का विवरण कुल क्षेत्रफल बर्गमीटर 4466.77 वर्गमीटर

:: अनुसूची –01::

ग्रम – परासरी खुर्द

स.क्र.	मकान धारक का विवरण	खसरा नं.	कुल रकवा (हे.मे.)	स्वामित्व का प्रकार	प्रभावित मकान का विवरण	प्रभावित मकान का क्षेत्रफल वर्गमी. में
1	2	3	4	5	6	7
1	श्यामलाल पिता बालचंद अहिरवार	71	0.900	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	71.00
2	शिवप्रसाद पिता बालचंद अहिरवार	71	0.900	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	35.28
3	सुमत्रा पति गोविन्द्र अहिरवार	71	0.900	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	42.397
4	परमानंद पिता गोविंद अहिरवार	71	0.900	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	42.397
5	रम्मू पिता गोविंद अहिरवार	71	0.900	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	42.397
6	शेर सींग पिता गोविंद अहिरवार	71	0.900	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	42.400
7	विशाल पिता गोविंद अहिरवार	71	0.900	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	42.397
8	मुकेश पिता गोविंद अहिरवार	71	0.900	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	42.397
9	काशीराम पिता श्यामलाल अहिरवार	71	0.900	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	94.96
10	रामदीन पिता शिवप्रसाद	71	0.900	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	124.35
11	मुलायमसिंह पिता हजारी लाल	71	0.900	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	410.42
12	पन्नालाल कुर्मी	71	0.900	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	345.09
13	महाराजसींग पिता रामप्रसाद	71	0.900	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	167.27
14	अशोक पिता रामप्रसाद	71	0.900	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	167.27
15	रामप्रसाद पिता मूलचंद	71	0.900	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	167.27

16	महेश पिता हरिसिंह	71	0.900	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	114.07
17	भगवान सिंह पिता हरिसिंह	71	0.900	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	93.52
18	मलखान पिता प्यारेलाल	71	0.900	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	158.07
19	शैतान सींग पिता जमना प्रसाद	71	0.900	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	129.84
20	अंगूरी बाई वेबा/करोडी लाल	71	0.900	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	21.78
21	रामसींग पिता करोडी लाल	71	0.900	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	21.78
22	विनोद पिता करोडी लाल	71	0.900	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	21.78
23	प्रेम पिता करोडी लाल	71	0.900	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	21.78
24	प्रेमनारायण पिता करोडी लाल	71	0.900	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	21.78
25	बद्री प्रसाद पिता खिलान सींग	71	0.900	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	187.53
26	विष्णु प्रसाद पिता खिलान सींग	71	0.900	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	187.53
27	खूबसींग पिता शोभाराम	71	0.900	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	66.29
28	रामकृष्ण पिता शोभाराम	71	0.900	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	64.50
29	नर्मदा प्रसाद पिता शोभाराम	71	0.900	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	78.65
30	अरविन्द पिता मुंशी लाल	71	0.900	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	62.65
31	राजेश पिता मुंशी लाल	71	0.900	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	62.65
32	गजराज पिता मुंशी लाल	71	0.900	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	62.65
33	मुशीलाल पिता तातीराम	71	0.900	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	240.95
34	रमेश पिता आनन्दी	71	0.900	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	27.35
35	कन्हैयालाल पिता आनंन्दी	71	0.900	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	23.29
36	मोकम पिता आनंन्दी	71	0.900	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	23.29
37	गोविंद पिता गोरी	71	0.900	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	10.35
38	ऋषिराज पिता सुखलाल कुर्मी	71	0.900	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	124.78
39	राहुल पिता ऋषिराज	71	0.900	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	124.78
40	रोहित पिता ऋषिराज	71	0.900	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	124.78
41	भरतसींग पिता बद्रीप्रसाद कुर्मी	71	0.900	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	143.56
42	कुबेर सींग पिता बद्रीप्रसाद	71	0.900	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	135.77
43	दामोदर पिता अजुद्दी प्रसाद कुशवाहा	71	0.900	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	60.18
44	बाबूलाल पिता अजुद्दी प्रसाद कुशवाहा	71	0.900	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	59.54
45	दिनेश पिता कम्बोद कुशवाहा	71	0.900	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	46.04
46	गोलू पिता कम्बोद कुशवाहा	71	0.900	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	46.04
47	प्रेमरानी स्व. कम्बोद कुशवाहा	71	0.900	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	61.92
	योग	1 किता	0.900			4466.77

राज्य सरकार की अधिकसूचना कमाक – एफ 16 –15– (7)2014– सात– शा, 2 ए भोपाल दिनाकः 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनाकः 03.10.2014 के पृष्ठ कमांक –2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू–अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकां, कर्मकारों या उसके निर्देशो के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिलें के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधो को कियान्वित करने के लिय प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू – अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियो का प्रयोग करने के लिये निर्देशत किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं परियोजना प्रशासक वेतवा पी.आई.यू.क.–2 राहतगढ़ सागर प्रभारी अधिकारी, भू–अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवशयक सहयोग प्रदान करेगे

राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक– एफ 16–15–(7)2014– सात–शा, 2 ए भोपाल, दिनाकः 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनाकः 03.10.2014 के पृष्ठ कमांक–2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू–अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को,जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासन के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भु–अर्जन शाखा जिला सागर को अधिनियम की धारा 16 द्वारा पुर्नर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेगें । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं परियोजना प्रशासक, बेतवा पी.आई.यू. क.– 2 राहतगढ़ सागर समुचित सहयोग करेंगें एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेगे ।

अधिनियम की धारा 11(4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा । या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात कय विकय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1) के अधीन यथा उपबंधीत इस सूचना के प्रकशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ में)आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेगें ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं परियोजना प्रशासक, बेतवा पी.आई.यू.क.– 2 राहतगढ़ सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं परियोजना प्रशासक, बेतवा पी.आई.यू.क.– 2 राहतगढ़ सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ।

क्र. 36-अ-82-19-20-258

मौजा गावरी पटवारी हल्का नं. 10 तहसील राहतगढ

चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची –1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग परियोजना प्रशासक बेतवा पी. आई.यू क –2 राहतगढ़ सागर को बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना मडिया बांध निमाण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित की दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियो का विस्थापन आवश्यक हो गया है चूँकि परियोजना प्रशासक, वेतवा पी.आई.यू. क.–2 राहतगढ़ सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव कमाक J-12011/31/2014-IA-I द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक पुर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागु नही होगे भूमी अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शितका का आधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहा पर्यावारण समाघात निर्धारण प्रकिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन अपेक्षित है वहा इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबधित उपबंध लागू नही होगे परियोजना के निर्माण से लगभग 296 ग्रामों की लगभग 90,000 है, भूमि सिचिंत होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 उपधारा (1) के उपबधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार मकानों की भूमि का अर्जन किया जाना है ।

(1) परियोजना का नाम :– बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना मडिया बांध

(2) भूमि का विवरण :–

1. जिला सागर
2. तहसील राहतगढ
3. ग्राम गावरी
4. पटवारी हल्का नं. 10
5. अर्जित भवन/परिसम्पतित्यों का विवरण कुल क्षेत्रफल बर्गमीटर 6675.580 वर्गमीटर

:: अनुसूची –01::

ग्रम गावरी

स.क्र.	मकान धारक का विवरण	खसरा नं.	कुल रकवा (हे.मे.)	स्वामित्व का प्रकार	प्रभावित मकान का विवरण	प्रभावित मकान कां क्षेत्रफल वर्गमी. में
1	2	3	4	5	6	7
1	राजू कोरी पिता मन्नूलाल कोरी	32	0.250	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	103.84
2	नर्मदा प्रसाद कोरी पिता मन्नूलाल	32	0.250	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	126.33
3	खेतसींग कोरी पिता मन्नूलाल कोरी	32	0.250	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	142.93
4	बाबूलाल कोरी पिता मन्नूलाल कोरी	32	0.250	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	162.99
5	सुहागरानी पति मून्नूलाल कोरी	32	0.250	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	81.05
6	गायत्रीबाई पति श्रीराम चौबे	32	0.250	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	46.27
7	बलराम गौड पिता धीरज गौंड़	36	0.370	आबादी गॉवठांन	कच्चा एवं पक्का मकान	152.92
8	बाबूलाल गौड पिता बालचंद	36	0.370	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	46.00
9	खलील पिता पीर मोहम्मद	36	0.370	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	27.79
10	सागीर पिता पीर मुहम्मद	36	0.370	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	27.79
11	कबीर पिता पीर मोहम्मद	36	0.370	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	27.79
12	इसरार पिता पीर मोहम्मद	36	0.370	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	27.79
13	अमीन पिता पीर मोहम्मद	36	0.370	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	27.79

14	समीम पिता पीर मोहम्मद	36	0.370	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	27.79
15	लीलाधर पिता बंसत	37	0.050	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	229.58
16	गिरधलाल पिता गोरेलाल	36	0.370	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	155.36
17	रनजीत पिता मोहरसींग	36	0.370	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	42.24
18	मुकेश पिता ढिलनसींग	43	0.100	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	39.04
19	संजय सींग पिता ढिलनसींग	43	0.100	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	53.04
20	ढिलनसींग	43	0.100	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	39.04
21	विद्रावन पिता ढिलनसींग	43	0.100	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	53.04
22	राजेश लोधी पिता हरनाम लोधी	43	0.100	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	46.87
23	हरनाम पिता ऊद्यम	43	0.100	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	46.87
24	उद्यम पिता	43	0.100	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	46.87
25	श्री हाफिज जी पिता रसीद	43	0.100	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	63.02
26	अब्दुल सालम पिता रसीद	43	0.100	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	63.02
27	केदारनाथ पिता द्वारकानाथ	36	0.370	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	49.44
28	द्वारकानाथ	36	0.370	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	56.40
29	कमोदसींग पिता प्रतापसींग लोधी	36	0.370	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	165.00
30	परमलाल पिता प्रताप सींग लोधी	36	0.370	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	476.8
31	प्रतापसींग पिता फदाली सींग लोधी	36	0.370	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	259.88
32	भारतसींग लोधी पिता रामचरन	44	0.250	चरनोई	कच्चा मकान	218.94
33	टुण्डीलाल लोधी	44	0.250	चरनोई	कच्चा मकान	66.12
34	परषोत्तम पिता जालम सींग	44	0.250	चरनोई	कच्चा मकान	79.12
35	जालम पिता प्यारेलाल सींग	36	0.370	आबादी गॉवठांन	कच्चा एवं पक्का मकान	177.09
36	रामप्रसाद लोधी पिता रामचरण	36	0.370	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	143.07
37	प्रशांत लोधी पिता जालमसींग	36	0.370	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	82.05
38	सरमन पिता जालमसींग	36	0.370	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	82.05
39	टुण्डीलाल पिता प्यारेलाल	36	0.370	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	61.35
40	कुसुमरानी पिता टुण्डीलाल	36	0.370	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	61.35
41	फूलसींग पिता टुण्डीलाल	36	0.370	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	61.35
42	रामरतन पिता टुण्डीलाल	36	0.370	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	61.35
43	थानसिंह पिता टुण्डीलाल	36	0.370	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	61.35
44	हीरालाल पिता टुण्डीलाल	36	0.370	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	61.35
45	शौतान पिता टुण्डीलाल	36	0.370	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	61.35
46	संतोषी पिता टुण्डीलाल	36	0.370	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	61.35
47	गोविन्द्र सींग पिता प्रहलाद	36	0.370	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	357.98
48	जसवंत पिता प्रहलाद	36	0.370	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	357.98
49	निर्भय पिता प्रहलाद	36	0.370	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	357.98
50	सगीर पिता वीर मुहम्मद	36	0.370	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	120.77
51	बसंत सींग पिता	36	0.370	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	27.72
52	रामकली पति मोहर सींग	36	0.370	आबादी गॉवठांन	कच्चा एवं पक्का मकान	63.18
53	आजादरानी पति प्रेमसींग	36	0.370	आबादी गॉवठांन	कच्चा मकान	57.00
54	दिलीप पिता काशीराम	59	0.520	शासकीय	कच्चा मकान	168.02
55	श्रीराम पिता काशीराम	62/1	0.150	आबादी गॉवठांन	कच्चा एवं पक्का मकान	90.26
56	राजेश पिता सिंधा	59	0.520	शासकीय	कच्चा मकान	56.73
57	तुलसीराम अहिरवार पिता मिहीलाल	62/2	0.150	चरनोई	कच्चा मकान	35.48

58	वीरसिंह पिता तुलसीराम अहिरवार	62/2	0.150	चरनोई	कच्चा मकान	35.48
59	राजू अहिरवार पिता तुलसीराम अहिरवार	62/2	0.150	चरनोई	कच्चा मकान	35.48
60	भगवान पिता तुलसीराम अहिरवार	62/2	0.150	चरनोई	कच्चा मकान	35.48
61	घिराबाई पति उत्तमसींग	62/2	0.150	चरनोई	कच्चा मकान	196.70
62	रामकली पति रूपसींग	62/2	0.150	चरनोई	कच्चा मकान	72.00
63	नाथूराम पति रामसींग अहिरवार	59	0.520	शासकीय	कच्चा मकान	117.84
64	प्रकाश पिता रामसींग अहिरवार	59	0.520	शासकीय	कच्चा मकान	117.84
65	अरविन्द्र पिता रामसींग अहिरवार	59	0.520	शासकीय	कच्चा मकान	117.84
	कुल योगः–	8 किता	1.840	कुल योगः–		6675.580

राज्य सरकार की अधिकसूचना कमाक – एफ 16 –15– (7)2014– सात– शा, 2 ए भोपाल दिनाकः 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनाकः 03.10.2014 के पृष्ठ कमांक –2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू–अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकां, कर्मकारों या उसके निर्देशो के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिलें के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधो को कियान्वित करने के लिय प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू – अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियो का प्रयोग करने के लिये निर्देशत किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं परियोजना प्रशासक वेतवा पी.आई.यू.क.–2 राहतगढ़ सागर प्रभारी अधिकारी, भू–अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवशयक सहयोग प्रदान करेगे

राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक– एफ 16–15–(7)2014– सात–शा, 2 ए भोपाल, दिनाकः 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनाकः 03.10.2014 के पृष्ठ कमांक–2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू–अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को,जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासन के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भु–अर्जन शाखा जिला सागर को अधिनियम की धारा 16 द्वारा पुर्नव्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेगें । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं परियोजना प्रशासक, वेतवा पी.आई.यू., क.– 2 राहतगढ़ सागर समुचित सहयोग करेंगें एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेगे ।

अधिनियम की धारा 11(4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर कें पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा । या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात कय विकय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1) के अधीन यथा उपबंधीत इस सूचना के प्रकशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्याक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ में)आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेगें ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं परियोजना प्रशासक, बेतवा पी.आई.यू.क.– 2 राहतगढ़ सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं परियोजना प्रशासक, बेतवा पी.आई.यू.क.– 2 राहतगढ़ सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

क्र. 116-2018-एलए-19686.—कार्यपालन अभियंता (सिविल) साधारण संभाग-एक श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना दोंगालिया द्वारा का पत्र क्रमांक 515-7200/श्री सिंगा जी/511 से श्री सिंगाजी थर्मल पावर की राखड बांध से भूमि प्रभावित होने के कारण भूमि स्वामी की मांग के राखड बांध के उपयोग में आने वाली निजी भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) के अध्याय-2 (अ) धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णत: लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप. क्रमांक एफ-16-15(1)/2014-सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं तन्वी सुंद्रियाल, कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु, 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय-2(अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करती हूँ:—

अनुसूची

अ. क्र.	जिला	तहसील	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे. में.)	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खण्डवा	टप्पा-मूंदी, तहसील-पुनासा	54	जलकुआ	0.27	श्री सिंगाजी थर्मल पावर की राखड बांध से भूमि प्रभावित होने के कारण भूमि स्वामी की मांग के राखड बांध के उपयोग में आने वाली निजी भूमि के अधिग्रहण के संबंध में.
				योग . .	0.27	

नोट:—(1) उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, पुनासा एवं कार्यपालन अभियंता (सिविल) साधारण संभाग-एक श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना दोंगालिया के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तन्वी सुंद्रियाल, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 17 दिसम्बर 2019

क्र. 8471-जि.भू-अर्जन.-2019.—चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) तक वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के

उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन में पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम/ प.ह.न.	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	धनौरा/धनौरा	सुकवाह प.ह.नं.-31	0.16	कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी (म. प्र.).	अपर तिलवारा नहर.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/ भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता हैं.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला-सिवनी (म. प्र.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, भीमगढ़ दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 05 के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 8472-भू-अर्जन.-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 12 तहत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम/ प.ह.न.	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	धनौरा/धनौरा	बरेली प.ह.नं.-46	निजी रकबा-1.95 शासकीय रकबा-0.13 कुल योग . . 2.08	कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी	अपर तिलवारा नहर की टेल मायनर का निर्माण कार्य.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता हैं.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, सिवनी जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, भीमगढ़ दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 05 के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन" पुनर्वासन और पुर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, घंसौर जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

क्र. 8473-जि.भू-अर्जन.-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) तक वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन में पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम/ प.ह.न.	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	केवलारी/ केवलारी.	सुनवारा प.ह.नं.-34.	निजी भूमि 1.49	कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी (म. प्र.).	अपर तिलवारा नहर की टेल मायनर का निर्माण कार्य.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/ भू-अर्जन अधिकारी केवलारी, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता हैं.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला-सिवनी (म. प्र.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, भीमगढ़ दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 05 के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 8474-जि.भू-अर्जन.-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये

प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	छपारा रा.नि.म. छपारा.	ग्राम सिमरिया ब. न.-723 प.ह.नं.-38.	कुल रकबा 1.43 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई, जिला छिंदवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली डी-4 टेल नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 6 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने संबंध में आक्षेप लिखित रूप से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन, जिला सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 8475-जि.भू-अर्जन.-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	छपारा रा.नि.म. छपारा.	ग्राम गोहना ब. न.- प.ह.नं.-38.	कुल रकबा 0.89 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई, जिला छिंदवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली डी-4 टेल नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 6 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने संबंध में आक्षेप लिखित रूप से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन, जिला सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 8476-जि.भू-अ.-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, वृहद परियोजना नियंत्रण मंडल भोपाल के पत्र क्र. 22(ए)-101-2016-एमपीएस-31-कार्य-1875 भोपाल दिनांक 14-09-2016 के तहत 85000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है. परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. आवेदक विभाग के द्वारा स्वीकृति आदेश की छायाप्रति प्रकरण में संलग्न की गई है. अतः अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-सिवनी रा.नि.म.-भोमा.	ग्राम-कांचना ब. न.-62 प.ह.नं.-45.	1.92 हेक्टेयर एवं एवं उस पर स्थित सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई, जिला छिंदवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर की जोगीवाड़ा मा. नहर के निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता हैं.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि-अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

क्र. 8477-जि.भू-अ.-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, वृहद परियोजना नियंत्रण मंडल भोपाल के पत्र क्र. 22(ए)-101-2016-एमपीएस-31-कार्य-1875 भोपाल दिनांक 14-09-2016 के तहत 85000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है. परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. आवेदक विभाग के द्वारा स्वीकृति आदेश की छायाप्रति प्रकरण में संलग्न की गई है. अतः अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-सिवनी रा.नि.म.-भोमा.	ग्राम-भाटीवाड़ा ब. न.-452 प.ह.नं.-42.	4.30 हेक्टेयर एवं एवं उस पर स्थित सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई, जिला छिंदवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर की बजरवाड़ा मा. नहर के निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि-अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय (राजस्व) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

क्र. 8478-जि.भू-अ.-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतदद्वारा संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके

द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	छपारा रा.नि.म.-छपारा.	ग्राम-झिलमिली ब.न.- प.ह.नं.-37.	कुल रकबा 1.30 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई, जिला छिंदवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली डी-3 नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता हैं.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 8479-जि.भू-अ.-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, वृहद परियोजना नियंत्रण मंडल भोपाल के पत्र क्र. 22(ए)-101-2016-एमपीएस-31-कार्य-1875 भोपाल दिनांक 14-09-2016 के तहत 85000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है. परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. आवेदक विभाग के द्वारा स्वीकृति आदेश की छायाप्रति प्रकरण में संलग्न की गई है. अत: अधिनियम

की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-सिवनी रा.नि.मं.-बंड़ोल.	ग्राम-उमरिया ब. न.-27 प.ह.नं.-26.	2.38 हेक्टेयर एवं एवं उस पर स्थित सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-3 वितरक नहर की मा. नं.-5 के निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि-अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

क्र. 8480-जि.भू-अ.-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, वृहद परियोजना नियंत्रण मंडल भोपाल के पत्र क्र. 22(ए)-101-2016-एमपीएस-31-कार्य-1875 भोपाल दिनांक 14 सितम्बर 2016 के तहत 85000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है. परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. आवेदक विभाग के द्वारा स्वीकृति आदेश की छायाप्रति प्रकरण में संलग्न की गई है. अत: अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-सिवनी रा.नि.मं.-भोमा.	ग्राम-खापा ब. न.-110 प.ह.नं.-42.	0.75 हेक्टेयर एवं एवं उस पर स्थित सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर एवं माईनर नहर के निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि-अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

क्र. 8481-जि.भू-अ.-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, वृहद परियोजना नियंत्रण मंडल भोपाल के पत्र क्र. 22(ए)-101-2016-एमपीएस-31-कार्य-1875 भोपाल दिनांक 14 सितम्बर 2016 के तहत 85000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है. परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. आवेदक विभाग के द्वारा स्वीकृति आदेश की छायाप्रति प्रकरण में संलग्न की गई है. अत: अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-सिवनी रा.नि.मं.-भोमा.	ग्राम-सरगापुर ब. न.-537 प.ह.नं.-42.	3.62 हेक्टेयर एवं एवं उस पर स्थित सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर की बजरवाड़ा मा. नहर के निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि-अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

क्र. 8482-जि.भू-अ.-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, वृहद परियोजना नियंत्रण मंडल भोपाल के पत्र क्र. 22(ए)-101-2016-एमपीएस-31-कार्य-1875 भोपाल दिनांक 14 सितम्बर 2016 के तहत 85000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है. परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. आवेदक विभाग के द्वारा स्वीकृति आदेश की छायाप्रति प्रकरण में संलग्न की गई है. अतः अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-सिवनी रा.नि.मं.-भोमा.	ग्राम-मुआरी रैयत ब. नं.-479 प.ह.नं.-42.	3.28 हेक्टेयर एवं एवं उस पर स्थित सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर की बजरवाड़ा मा. नहर के निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि-अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

क्र. 8483-जि.भू-अ.-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, वृहद परियोजना नियंत्रण मंडल भोपाल के पत्र क्र. 22(ए)-101-2016-एमपीएस-31-कार्य-1875 भोपाल दिनांक 14 सितम्बर 2016 के तहत 85000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है. परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक

21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. आवेदक विभाग के द्वारा स्वीकृति आदेश की छायाप्रति प्रकरण में संलग्न की गई है. अतः अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-सिवनी रा.नि.मं.-बंड़ोल.	ग्राम-गोरखपुर-कला ब. नं.-143 प.ह.नं.-26.	4.35 हेक्टेयर एवं एवं उस पर स्थित सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-3 वितरक नहर की मा. नं.-4 एवं 5 के निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता हैं.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि-अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

क्र. 8484-जि.भू-अ.-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, वृहद परियोजना नियंत्रण मंडल भोपाल के पत्र क्र. 22(ए)-101-2016-एमपीएस-31-कार्य-1875 भोपाल दिनांक 14 सितम्बर 2016 के तहत 85000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है. परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. आवेदक विभाग के द्वारा स्वीकृति आदेश की छायाप्रति प्रकरण में संलग्न की गई है. अतः अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-सिवनी रा.नि.मं.-सिवनी. भाग-1	ग्राम-बम्होड़ी ब. नं.-397 प.ह.नं.-115.	1.36 हेक्टेयर एवं एवं उस पर स्थित सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना की सिवनी शाखा नहर की मा. नं.-26 के निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि-अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

क्र. 8485-जि.भू-अ.-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, वृहद परियोजना नियंत्रण मंडल भोपाल के पत्र क्र. 22(ए)-101-2016-एमपीएस-31-कार्य-1875 भोपाल दिनांक 14 सितम्बर 2016 के तहत 85000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है. परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. आवेदक विभाग के द्वारा स्वीकृति आदेश की छायाप्रति प्रकरण में संलग्न की गई है. अतः अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-सिवनी रा.नि.मं.-भोमा.	ग्राम-मगरकठा ब. नं.-470 प.ह.नं.-42.	5.50 हेक्टेयर एवं एवं उस पर स्थित सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर की बजरवाड़ा मा. नहर के निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि-अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

क्र. 8486-जि.भू-अ.-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, वृहद परियोजना नियंत्रण मंडल भोपाल के पत्र क्र. 22(ए)-101-2016-एमपीएस-31-कार्य-1875 भोपाल दिनांक 14 सितम्बर 2016 के तहत 85000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रुपये 2544.57 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है. परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है. आवेदक विभाग के द्वारा स्वीकृति आदेश की छायाप्रति प्रकरण में संलग्न की गई है. अतः अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-सिवनी रा.नि.मं.-बंड़ोल.	ग्राम-भोगाखेड़ा ब. नं.-463 प.ह.नं.-36.	1.07 हेक्टेयर एवं एवं उस पर स्थित सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-3 वितरक नहर की मा. नं.-1 के निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि-अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रवीणसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

क्र. 5365-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बालाघाट
(ख) तहसील—कटंगी
(ग) नगर/ग्राम—चिकमारा, प.ह.नं.-24, रा.नि.मं. कटंगी
(घ) ब्राडगेज रेल्वे लाईन के निर्माण में अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—0.036 हे. एवं उसमें आने वाली सम्पत्यिॉं.

प्रस्तावित खसरा नंबर (1)	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
496/1	0.036
योग . .	0.036

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—कटंगी से तिरोडी ब्राडगेज अमान परिवर्तन निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईड dmbalaghat@nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http// www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी तहसील कटंगी, जिला बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, उपअभियंता (निर्माण) द.पू.म. रेल्वे नागपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अलीराजपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2019

प्र. क्र. 04-अ-82-2019-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (01) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (04) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अलीराजपुर
(ख) तहसील—जोबट
(ग) ग्राम—कन्दा
(घ) अर्जित रकबा—हेक्टेयर में.

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)

सिंचित	असिंचित	कुल रकबा
0.000	0.591	0.591

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)

(1) खसरा क्र.	(2) सिंचित	(3) असिंचित	(4) कुल रकबा
1179	0.000	0.275	0.275
650/2	0.000	0.316	0.316
योग . .	0.000	0.591	0.591

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—"छोटाउदयपुर-धार नई बड़ी रेल्वे लाईन कार्य हेतु" पूरक मुआवजा प्रकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़दोरा तथा कार्यपालन इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेलवे छोटाउदयपुर-धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरभि गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 24 दिसम्बर 2019

क्र. 10122-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—चौरई

(ग) नगर/ग्राम—मरकाहांडी, प.ह.नं.-38, ब. नं.-225, रा. नि. मं.-चौरई.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल— कुल रकबा-02.364 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
381/2, 391/3	0.025
148/5, 148/7, 149, 150, 151, (152/3, 4, 5)	0.012
402	0.048
403/4, 404/3	0.008
403/2	0.022
403/9	0.072
403/3	0.030
403/6	0.026
403/8	0.068
381/1, 391/1	0.029
380/1, 382/3, 383/3	0.048
386/6	0.060
380/8, 382/9, 383/5	0.032
382/2क, 383/1ख	0.122
387/3	0.068
384/4, 388/1	0.068
384/3	0.030
384/5, 384/8	0.025
384/6, 385/2, 387/5	0.030
384/7, 385/3, 387/3	0.030
386/13	0.080
386/1	0.092
152/2, 154, 155, 156	0.090
147/1	0.064
146	0.025
143/4	0.085
143/1	0.012
236/1	0.112
241/1, 242/1, 245/1	0.026
236/5	0.066
236/6	0.115
236/2	0.016
241/2, 242/2, 245/2	0.015
237/1	0.039
238	0.096
237/2, 239/2, 240	0.96
235/6	0.032
234/5	0.036
188/2	0.023
235/11	0.031
228/2	0.086
224	0.012
188/3, 189/1	0.035
188/4	0.065
186/1, 2, 3	0.036
योग. .	02.364

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत नांदना वितरक नहर की 4 आर, 5 आर माईनर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp. gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 10123-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—चौरई

(ग) नगर/ग्राम—पलटवाडा, प.ह.नं.-36, ब. नं.-160, रा. नि. मं.-चौरई.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल— कुल रकबा-0.928 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
157/1	0.058
157/5	0.008
155/3, 157/4	0.040
155/2, 157/3	0.028
155/1, 157/2	0.020
154, 159/5	0.074
153	0.032
151/2	0.084
151/3	0.060
174/7	0.024
174/8	0.090
173/2	0.180
167/2	0.008
165/1	0.060
166/1	0.032
165/2	0.060
166/2	0.070
योग. .	0.928

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत नांदना वितरक नहर की 6 आर, 7 आर, 8 आर माईनर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp. gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 10124-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—चौरई

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-हरदुआ रैयत, प.ह.नं.-29, ब. नं.-282, रा. नि. मं.-चौरई.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल— कुल रकबा-01.234 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
43/1/क, 44/1/क	0.330
3/11	0.058
3/12	0.016
3/14	0.036

(1)	(2)
3/10	0.192
2/1	0.084
3/1/ख	0.018
3/3/क	0.032
3/3/ख	0.034
4/1/ख	0.134
5	0.300
योग. .	01.234

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत हरदुआ वितरक नहर की 1 एल माईनर, 3 एल सबमाईनर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp. gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 26 दिसम्बर 2019

क्र. 10192-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—सौंसर
(ग) नगर/ग्राम—घोघरीखापा, प.ह.नं.-14, ब. नं.-113, रा. नि. मं.-सौंसर
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल— कुल रकबा-0.170 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
34/1	0.140
34/2	0.030
योग. .	0.170

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—मोहगांव जलाशय के नहर निर्माण की लघु सिंचाई के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp. gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, उपसंभाग, सौंसर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 27 दिसम्बर 2019

क्र. 10233-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता

का अधिकार अधिनियम, 2013'' की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—चौरई

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-उदादौन, प.ह.नं.-38, ब. नं.-08, रा. नि. मं.-चौरई

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल— कुल रकबा-01.613 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
362/6, 362/10, 378	0.090
379, 380, 381/1	0.066
366/2, 367/1, 367/2, 381/2	0.030
389	0.020
382/1, 383/1	0.120
385/3	0.014
385/2, 386/3, 390/5	0.056
386/6, 390/7	0.028
140/1, 141/4	0.100
388/1	0.104
386/7, 390/1, 386/8, 390/11	0.013
387/3, 390/4	0.192
139/2	0.024
139/4	0.024
138, 139/1, 140/1	0.048
167/3	0.112
137/1/2	0.020
167/1, 168/1	0.020
135/4, 136/2	0.036
135/3, 136/1	0.020
133/12	0.020
133/2	0.020
133/4	0.020
133/7	0.032
171/1	0.014
175/4क	0.118
171/2	0.110
175/5/1/2	0.004
175/1, 176/1, 177/2, 178/2	0.050
177/3, 178/3, 179/4, 176/5	0.036
134/2, 135/5	0.052
योग. .	01.613

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत बांयी तट मुख्य नहर से निकलने वाली नांदना वितरक नहर की 5 आर माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp. gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2 छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 24 दिसम्बर 2019

क्र. 5436-11-अ-82-2019-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजनार्थ के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन

(क) जिला—उज्जैन
(ख) तहसील—उज्जैन
(ग) ग्राम—चैनपुर हंसखेड़ी
(घ) अर्जित रकबा—0.510 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
28	0.030
50	0.120
59/6, 59/7	0.090
61	0.080
79/1/2	0.040
79/2	0.030
80	0.080
85, 86	0.040
योग . .	0.510

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है:—इंदौर-देवास-उज्जैन दोहरीकरण प्रोजेक्ट के अंतर्गत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन तथा उपमुख्य इंजीनियर, निर्माण-I पश्चिम रेलवे इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 5437-10-अ-82-2019-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजनार्थ के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन

(क) जिला—उज्जैन
(ख) तहसील—उज्जैन
(ग) ग्राम—नौगांवा
(घ) अर्जित रकबा—0.02 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
541/1/2	0.02
योग . .	0.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है:—इंदौर-देवास-उज्जैन दोहरीकरण प्रोजेक्ट के अंतर्गत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन तथा उपमुख्य इंजीनियर, निर्माण-I पश्चिम रेलवे इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 5438-09-अ-82-2019-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन

(क) जिला—उज्जैन
(ख) तहसील—उज्जैन

(ग) ग्राम—कड़छा

(घ) अर्जित रकबा—0.340 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
387, 386/1	0.050
386/2	0.050
385, 383, 382	0.100
377/1/1	0.020
377/1/2	0.020
377/2, 376	0.050
343	0.020
338/3	0.030
योग . .	0.340

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है:—इंदौर-देवास-उज्जैन दोहरीकरण प्रोजेक्ट के अंतर्गत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन तथा उपमुख्य इंजीनियर, निर्माण-I पश्चिम रेलवे इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशांक मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 27 दिसम्बर 2019

पत्र क्र. 757-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहॉ पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण:—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—बहरी

(ग) ग्राम का नाम—सरदा

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—निजी रकबा 4.215 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	997	0.083	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी जिला-सीधी (म. प्र.).	महान (गुलाब सागर) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के मुख्य नहर की माइनर नम्बर 7 के निर्माण हेतु.
2	998	0.041		
3	994	0.050		
4	995	0.030		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	992	0.050		
6	991	0.007		
7	863	0.015		
8	860/1			
9	860/2			
10	860/3	0.420		
11	860/4			
12	860/5			
13	860/6			
14	851	0.066		
15	850	0.025		
16	849	0.033		
17	848	0.030		
18	847	0.049		
19	845	0.052		
20	844	0.040		
21	718	0.114		
22	717	0.102		
23	706	0.102		
24	704	0.070		
25	703	0.008		
26	700	0.004		
27	701	0.060		
28	666	0.045		
29	665	0.048		
30	664	0.044		
31	667	0.055		
32	663	0.009		
33	653	0.102		
34	655	0.048		
35	644	0.066		
36	631	0.079		
37	630	0.036		
38	633	0.072		
39	632	0.012		
40	620	0.060		
41	621	0.002		
42	618	0.031		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
43	603	0.040		
44	617	0.018		
45	601	0.001		
46	607	0.022		
47	606	0.044		
48	605	0.003		
49	588	0.069		
50	589	0.020		
51	582	0.159		
52	581	0.076		
53	578	0.083		
54	577	0.037		
55	576	0.020		
56	574	0.112		
57	573	0.050		
58	572	0.013		
59	570	0.170		
60	568	0.080		
61	564	0.040		
62	563	0.012		
63	562	0.040		
64	657	0.036		
65	990/1	0.150		
66	990/2			
67	988	0.060		
68	987	0.070		
69	924	0.040		
70	920/Min-1	0.035		
71	920/Min-2			
72	915	0.020		
73	916	0.040		
74	911	0.070		
75	575	0.025		
76	567	0.080		
77	708	0.105		
78	565	0.055		
79	561	0.160		
	योग . .	4.215 है.		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बहरी में देखा जा सकता है.

(3) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अंदर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) यह सूचना सर्व-सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

पत्र क्र. 759-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संवय्वहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहॉ पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

(1) भूमि का विवरण:—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—रामपुर नैकिन

(ग) ग्राम का नाम—हनुमानगढ़

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 2.263 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित (रकबा हे. में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2152	0.052	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी जिला-सीधी (म. प्र.).	महान मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु.
2	2153	0.140		
3	2165	0.072		
4	2168	0.026		
5	2167/2	0.073		
6	2187	0.016		
7	2188/1	0.120		
8	2189/2	0.009		
9	2210	0.140		
10	2214	0.060		
11	2246	0.050		
12	2264	0.022		
13	2278	0.004		
14	1213	0.032		
15	1296/2/2	0.060		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16	1296/2/3	0.030		
17	1297/2	0.020		
18	1300/1	0.030		
19	1263	0.110		
20	1274	0.005		
21	953	0.030		
22	1406/2	0.060		
23	767/1	0.160		
24	466	0.100		
25	465	0.010		
26	1671/3	0.020		
27	1672	0.010		
28	1683	0.192		
29	1417/3	0.040		
30	2411	0.050		
31	755/1	0.040		
32	756	0.050		
33	2274	0.070		
34	737/1	0.120		
35	737/2			
36	738/1	0.130		
37	738/2			
38	2266	0.070		
39	1365	0.040		
	योग . .	2.263		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन में देखा जा सकता है.

(3) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अत: हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अंदर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) यह सूचना सर्व-सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.